क़ब्रों के पास नमाज़ न पढ़ने के बीस प्रमाण एवं क़ब्रों पे मस्जिद एवं भवन निर्माण का हुक्म

लेखक

माजिद बिन सुलैमान अल-रसी

शाबान १٤٣٤ हिजरी

الترجمة الهندية لكتاب:

عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور

و بيان حكم بناء المساجد و الغرف عليها

لفضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي

पुस्तक की व्याख्या

पुस्तक का नाम: क़ब्रों के पास नमाज़ न पढ़ने के बीस प्रमाण एवं क़ब्रों पे मस्जिद व भवन निर्माण का हुक्म

लेखक: माजिद बिन सुलैमान अल-रसी

प्रकाशन: १४४२ **हिजरी-** २०२१

ईमेल: binhifzurrahman@gmail.com

मोबाइल: ००९६६५३८९४४८४५

الكتاب منشور في موقع صيد الفوائد و اسلام هاؤس:

https://islamhous.com/hi//main

http://saaid.neook/list.php?cat=92

इस पुस्तक के संपूर्ण अधिकार लेखक के लिए सुरक्षित हैं।

विषय सूची

विषय सूची

प्रस्तावना

मस्जिद का शाब्दिक अर्थ

क़ब्रों को मस्जिद न बनाने के प्रमाण

क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने के विषय में कुछ इस्लामी विद्धानों की रायें

क़ब्रों को मस्जिद बनाने के रूप

क़ब्रों को मस्जिद बनाना ह़राम है चाहे नमाज़ी के लिए क़ब्र की जगह जहाँ भी हो।

क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने का हुक्म वैधता अथवा अवैधता के दृष्टिकोण से

क़ब्रों पर मस्जिद के निर्माण का मसला

क़ब्रों पर मस्जिद निर्माण की निषेध के प्रमाण

मस्दिजों पर क़ब्रों का निर्माण करना।

क़ब्रों पर मस्जिद बनाने के संबंध में चारों धर्मशास्त्र के पंथों की रायें

कुछ संदेह और उनका उत्तर

क़ब्रों पर भवन एवं गुंबद आदि बनाने का हुक्म

क़ब्रों पर भवन निर्माण निषेद होने के प्रमाण

क़ब्र पर बने मसाजिद के विरोध मुसलमानों के दायित्व

क़ब्र को सजदागाह (सजदा करने का स्थान) बनाने अथवा क़ब्र पर मस्जिद निर्माण करने से अनेक खराबीयाँ पैदा होती हैं। जिन में कुछ निम्नलिखित है।

क़ब्र की मिट्टी को ऊंचा करना

क़ब्र पर दिया जलाने का हुक्म

क़ब्रों के सम्मान से संबंधित कुछ और बातें

क़ब्रों का अपमान

अंत से पहले कुछ बातें

अंतिम बातें

क़ब्रों पर भवन एवं गुंबद आदि बनाने के हुक्म

संदर्भ

प्रस्तावना

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله و صحبه وسلم

निःसंदेह अल्लाह ने मनुष्य व जिन्नों को एक बड़े उद्देश्य के लिए पैदा किया है। जो यह है कि वे केवल उसी की प्रार्थना करें और उसके साथ किसी को साझी न बनाएं। अल्लाह तआ़ला फरमाता है "और मैंने मनुष्य एवं जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है" (सूरह अल-ज़ारियातः56) इबादत में अल्लाह की प्रिय व इच्छा की सारी बातें अर्थात छुपी हुई और स्पष्ट बाते एवं कार्य सम्मिलित हैं।

नमाज़,ज़कात,रोज़ा ह़ज्ज,सत्यता,अमानत अदा करना, माता-पिता से उत्तम व्यवहार,संबंध निभाना,वचन पूरा करना अच्छाई का उपदेश देना, बुराई से रोकना,पड़ोसी,अनाथ,निर्धन राहगीर और दासों और मवेशियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दुआ़ ज़िक्र तिलावत (सस्वर पाठ) आदि चीज़ें इबादत में शामिल हैं। इसी प्रकार से अल्लाह और उसके रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मुहब्बत,अल्लाह से डर,धर्म को उसके लिए शुद्ध करना,उसके आदेश से सब्र करना,उसके उपकारों पर आभार व्यक्त करना, उसके बनाये गये भाग्यों पर संतुष्टी, उस पर विश्वास,उसकी कृपा की आशा,उसके दंड का भय आदि चीजें भी इ़बादत हैं।

(نقلا من "مجموع الفتاوى"لإبن تيمية رحمه الله (١٠/١٤٩-١٥٠) بتصرف يسير**)**

इबादत का विलोम शिर्क है। इस प्रकार से कि मनुष्य अल्लाह का साझी बना ले और उसकी अल्लाह के जैसे इबादत करें और अल्लाह के प्रकार उससे डरे और किसी भी प्रकार की प्रार्थना से उसकी निकटता प्राप्त करे जिस प्रकार अल्लाह की निकटता प्राप्त करता है जैसे नमाज़,ज़बह, मन्नत आदि।

बन्दों के साथ अल्लाह की करूणा यह भी है कि उसने शिर्क के रास्तों को बन्द कर दिया है यद्यपि वह काम अपने आप में शिर्क न हो ताकि इन्सान विनाश की अस्थाव से सचेत और दूर रहे। उदाहरण स्वरूप इस्लामी शरीअ़त में क़ब्रों के पास नमाज़ पर प्रतिबंध है चूंकि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अनेक ह़दीसों में इस से मना किया है इस प्रतिबंध का कारण यह कि जब निमाज़ पढ़ने वाला क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ता है तो शैतान उसके मुर्दे के लिए नमाज़,सजदा और ध्यान को सुन्दर बना देता है विशेष रूप से कठिनाई की स्थिति में। और जिसने ऐसा किया वह अल्लाह की प्रार्थना में शिर्क में पड़ गया जो नरक में सवैद रहने का कारण है।

इस संक्षिप्त शोध में मैं ने अपनी बात रखनी चाही है ताकि मुझे और मेरे भाइयों को लाभ हो।इस विषय पर अहल-ए-सुन्नत की पुस्तकों में जो भी बिखरी हुई बातें थीं उन्हें एकत्रित कर दिया है मैंने क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने के सम्बंध में शरीअ़त की प्रमाणों का उल्लेख किया है। फिर चारों धर्मशास्त्र के पंथों के धर्मगुरूओं की बातें भी प्रस्तुत की हैं।

तत्पश्चात क़ब्रों के पास नमाज़ न पढ़ने के कारणों को विस्तार से बताया है। इस शोध के साथ क़ब्रों पर भवन निर्माण का हुक्म भी सम्मिलित कर दिया है।और यह बताया है कि चारों पंथों के धर्मगुरूओं के निकट यह ह़राम है। मैंने यह भी बताया कि सारे धर्मगुरूओं का इस पर एकमत है।मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस शोध से लेखक और पाठक को लाभ पहुंचाये। हम समस्त मुसलमानों को लाभदायक ज्ञान प्राप्त करने और अल्लाह और उसके रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की शरीअ़त के अनुसार नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। इ़बादत में नवाचारों और मनगढ़त बातों से बचाये ताकि हमारी इ़बादतें अल्लाह के निकट स्वीकृत और प्रलय के दिन लाभप्रद हों।

والله اعلم و صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

लेखक

मजिद बिन सुलैमान अल-रसी

मंगलवार 20-5-1434 हिजरी

फोन 00966.505906761 सऊ़दी अ़रब

मस्जिद का शाब्दिक अर्थ

मस्जिद शब्द के दो उपयोग हैं:सामान्य एवं विशेष, सामान्य अर्थ है: धरती की हर स्थान जहाँ नमाज़ सही हो समतल धरती हो अथवा ऊँची नीची भवन हो अथवा खाली स्थान,इसी अर्थ में नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यह कथन हैं "मरे लिये सारी भ धरती मस्जिद और पवित्र बनाई गई है।(बुखा़री:1335,मुस्लिम 521,जाबिर रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित)

यहाँ पवित्र का अर्थ यह है कि उस से पवित्रता प्राप्त करना ठीक हो तयम्मुम द्वारा।

विशेष अर्थ में मस्जिद उस भवन को बोलते हैं जिसे सारे लोगा जानते हैं इसी अर्थ में अल्लाह का यह फरमान है:

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر ولم يخش إلا الله

"नि:संदेह अल्लाह की मस्जिद वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और प्रलय के दिन पर ईमान रखते हैं और कवेल अल्लाह से डरते है।" (सूरह तौबा:18)

क़ब्रों को मस्जिद बनाने का अर्थः

मस्जिदों को क़ब्र बनाने का दो अर्थ है उनपर मस्जिद बनायी जाये अथवा बिना भवन के ही क़ब्रों के निकट नमाज़ पढ़ी जाए।)

(قاله ابن تيميه رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" ٢٧/١٦٠)

क़ब्रों को मस्जिद बनाने वालों की स्थितिः

जो लोग मस्जिदों को क़ब्र बनाते हैं उनकी दो स्थितियां हैं।

प्रथम:क़ब्र की पूजा करना,नमाज़ एवं सजदा द्वारा,जैसा कि बुतों की पूजा करने वाले बुतों के सामने करते हैं और यह खुला कुफ्र है जिसमें कोई संदेह नहीं।

द्वितीय:क़ब्र की ओर इस विश्वास के साथ नमाज़ पढ़ना कि उसकी ओर नमाज़ की उस नमाज़ से ज्यादा फजी़लत है जो किसी क़ब्र की ओर न हो।यही वह स्थिति है जिसकी ह़दीस में मनाही आई हुई है।

क़ब्रों के पास नमाज़ न पढ़ने के कारण:

छह कारणों के आधार पर इस्लामी शरीअ़त क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने से मना करती है चाहि क़ब्र किसी मस्जिद के भवन के नीचे हो अथवा किसी निर्जन भूमि में।

प्रथम कारण:

क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने वालों में से अधिकांश का विश्वास है कि क़ब्र के पास अथवा उसके अन्य भागों में नमाज़ स्थापित करने पर एक विशेष बरकत और फजी़लत है। इस विश्वास की न तो अल्लह की पुस्तक में कोई वास्तविकता है और न ही रसूलल्लाह सल्लल्लाहू अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत में क्योंकि शरीअ़त में (1) मस्जिद-ए-ह़राम,(2) मस्जिद-ए-नववी,(3)मस्जिद-ए-अ़क़्सा(4)मदीना की मस्जिद कुवा वादी-ए-अकी़क़ और(5)मदीने के मीकात जुलहुलैफा के अलावा किसी दुसरी स्थान में नमाज़ पढ़ने की फजी़लत नहीं है। इसी आधार पर क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ना नवाचारों में से है और यह मालूम है कि विदआत उनके करने वाले मरदूद (अस्वीकृत) हैं।वे अल्लाह तआ़ला के यहाँ अस्वीकृत हैं और वे एक बड़े पाप की ओर ले जाती है।

(1) जैसा कि इसका प्रमाण जबिर रज़ीअल्लाहु अंहु की ह़दीस है कि उन्होंने कहा कि रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मस्जिद की एक नमाज़ काबा के अलावा दूसरी मस्जिदों की एक हजार नमाज़ से अधिक बेहतर है और मस्जिद-ए-ह़राम की एक नमाज़ उसके अितरिक्त की एक लाख नमाजों से अधिक बेहतर है। (इसे इब्ने माजा 1406 ने वर्णन किया है,यहाँ उन्हीं के शब्द हैं और अह़मद (3/343) ने रिवायत किया है)।उसे अल्बानी और अल-मुस्नद के शोधकर्ताओं ने सही़ माना है)।

(2) इसका प्रमाण जाबिर रज़ीअल्लाहु अ़ंहु की पिछली ह़दीस है और इसी प्रकार अबू हुरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु की ह़दीस है कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद की एक नमाज़ इसके अलावा दुसरी मस्जिद की हज़ार समाजों से अधिक बेहतर है सिवाय मस्जिद-ए-ह़राम के (इसे बुखा़री (1190) और मुस्लिम (1395) ने रिवायत किया है)।

(3) इसकी प्रमाण अबुहुरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु की ह़दीस है कि रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन ही मस्जिदों की ओर यात्रा करना जाएज़ है:

मस्जिद-ए-ह़राम,रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मस्जिद और मस्जिद-ए-अ़क़्सा (इसे बुखा़री (1189) और मुस्लिम (1397) ने रिवायत किया है)

(4) इसका प्रमाण यह है कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम प्रत्येक शनीवार को मस्जिद-ए-कुबा सवार हो कर या पैदल चलकर आते थे और उस में दो रकअ़त नमाज़ पढ़ते थे।बुखा़री (1193) और मुस्लिम (1399) ने इसे उ़मर रज़ीअल्लाहु अंहु से रिवायत किया है।

और उसैद बिन ज़हीर अंसारी से रिवायत है कि उन्होंने नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि मस्जिद-ए-क़ुबा में नमाज़ पढ़ने

का पुण्य एक उ़मरा के समान है।इसे तिरमिज़ी (324) और इब्ने माजा (1411) ने रिवायत किया और इसे अल्बानी ने सही़ कहा है।

(5) इसका प्रमाण नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फरमान है कि: आज रात मेरे रब की ओर से एक आने वाला आया और उसने मुझसे कहा कि इस पवित्र घाटी में नमाज़ पढ़ो और कहा उ़मरा ह़ज्ज में प्रवेश है।इसे बुखा़री (1534) ने उ़मर रज़ीअल्लाहु अंहु से रिवायत किया है। सुन्नत यह है कि जब कोई मुसलमान बिना किसी इरादा के अकीक़ घाटी से गुजरे तो उसमें नमाज़ पढ़े।यह ह़ज्ज अथवा उ़मरा की यात्रा के साथ विशेष नहीं है बल्कि जब भी वह उस के पास से गुजरे तो उसके लिए उसमें नमाज़ पढ़ना मुस्तह़ब (वह कार्य जिसके करने पर पुण्य और न करने पर पाप न हो) है जैसा कि नवी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम करते थे।अब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ीअल्लाहु अंहु से रिवायत है कि रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम शजरा के रास्ते से गुजरते हुए मोअर्रस के रास्ते से मदीना आते और जब मक्का जाते तो शजरा की मस्जद में नमाज़ पढ़ते किन्तु वापसी में जुलहुलैफा के नीचे स्थान में नमाज़ पढ़ते और सुबह तक वहीं रात गुजारते।इसे बुखा़री (1533) ने रिवायत किया है और इब्ने रजब ने फतहुल बारी में मालिक,शाफई़,अबू ह़नीफा और अह़मद से उसमें नमाज़ पढ़ने के मुस्तहब होने की बात बयान की है।देखिए

(كتاب الصلاة:باب المساجد التي على طرق المدينة **(3/435-436)**

और इब्ने ह़जर ने फतहुल बारी में उ़मर की पिछली ह़दीस की व्याख्या में कहा कि ह़दीस में अकीक की महानता मदीना की फजी़लत के जैसा है और उस में नमाज़ पढ़ना की फज़ीलत है।

इरबाज बिन सरिया की ह़दीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फरमाया कि "धर्म में नई चीजों से बचो इसलिए की प्रत्येक नई चीज़ बिदअ़त/नवाचार है और प्रत्येक नवाचार गुमराही है"(इसे अबू दाऊद,(4607) तिर्मिजी़ (2676),इब्ने माजा (42),अह़मद (41/126-127), इब्ने ह़िब्बान (12179),यह उन्हीं के शब्द हैं और उनके अलावा ने रिवायत किया है और ह़दीस को अल्बानी रहिमदुल्लाह ने सही़ कहा है।)

और आइशा रज़ीअल्लाहु अंहा ने रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया कि "जिसने हमारे इस धर्म में कोई ऐसी नई चीज़ अविष्कार की जो उस में नहीं है तो वह मरदूर है" इसे बुख़ारी (2697) और मुस्लिम (1718) ने रिवायत किया और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि "जिस ने काई ऐसा काम किया जिस पर हमारा आदेश नहीं है तो वह रद्द है"।इसे मुस्लिम (1718) ने रिवायत किया है। शैख मरई़ बिन युसुफ करमी ह़ंबली का कथन है:जानलो कि शरीअ़त में प्रत्येक स्थान की फजी़लत नहीं है।और न ही उस में कोई चीज़ है जो उसके महत्व को अनिवार्य करे किसी स्थान की यात्रा करना या उसमें नमाज़,दुआ ज़िक्र अथवा उसके अलावा के लिए इजतेमा का इरादा करना स्पष्ट गुमराही और भारी गलती है।क्योंकि यह धर्त में कानूनसाज़र है

और किसी ऐसे स्थान की फज़ीलत नहीं दी है। बल्कि वह केवल मन की इच्छा है जिसे अल्लह में एक पूजा किये जाने वाले पूज्य के जैसा करार दिया है।

जैसा कि अल्लाह तआ़ला का फरमान है कि 'भला देखो तो उसे जिसने अपनी इच्छा को अपना पूज्य बना लिया है।" (सूरह अल- जासीया-23) इस में मुशरिकों को मुशाबहत है जिन्हों ने अपनी आत्मइच्छा की लिए कुछ स्थानों को महत्व दे रखी है वे वहाँ किसी मूर्ति अथवा उसके अलावा के लिए जाते थे उनका विश्वास था वह उन्हें अल्लाह तआ़ला के निकट कर देता है

شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور **(58-59)**

प्रकाशन:मकतबा नज्जा़र मुस्तफा अल-बाज़-मक्का

इसी प्रकार से यह कहना कि क़ब्रों पे नमाज़ पढ़ना अफज़ल है शरीअ़त पर एक आरोप है और बिना ज्ञान के अल्लाह की बात करना है।यह बड़े पापों में से एक है। अल्लाह तआ़ला का फरमान कि "कहदो मेरे रब ने बेहयाई (अशिष्टता) की बातों को ह़राम किया है।चाहि वे स्पष्ट हों अथवा छुपे हों और प्रत्येक पाप को और नाहक किसी पर अत्याचार करने को और यह कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ जिसका उसने कोई प्रमाण नहीं नाज़िल किया और यह कि तुम अल्लाह पर वे बातें कहो जो तुम नहीं जानते।" (सूरह अल-आ़राफ-33)

दुसरा कारण:

क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने से रोकने का दूसरा कारण यह कि क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ने का कारण क़ब्र वाले की सम्मान करना है जबकि अल्लाह तआ़ला का सम्मान होना चाहिए जो नमाज़ी की बुद्धि में प्रभावी है।

तीसरा कारण:

क़ब्र वाले की क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ कर सम्मान करना समय के साथ और बढ़ जाता है यहाँ तक कि क़ब्र वाले ही की प्रार्थना की जाने लगती है उस का सजदा किया जाता है, घुटने टेके जाते हैं, दुआ़ की जाती है, पशु ज़बह़ किया जाता है और तवाफ किया जाता है।अत: वह सम्मान करने वाला मूर्ति पूजा में पड़ जाता है। अल्लाह बचाए। इमाम नौवी रह़िमहुल्लाह ने कहा है कि विद्धानों का कहना है कि "नबी सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम ने अपनी और अपने अलावा की क़ब्र को उसके सम्मान में अतिशयोक्ति करने और उसके प्रेम में दिवाना होने के डर से मस्जिद बनाने से मना किया है।इस लिए कभी यह कुफ्र का कारण बनता है जैसा कि बहुत सी पूर्व की कौमों ने किया और जलालुद्दीन सुयुती शाफई़ रह़िमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक الأمر بالإتباع و النهي عن الإبتداع में स्पष्ट करते हुए कहा है:यही वह कारण है जिसके लिए नबी सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम ने मना कर दिया है इसी ने अनेक उम्मतों को शिर्क-ए-

अकबर अथवा असगर में डाला इसी लिए तो बहुत सी गुमराह उम्मतों को सदाचार पूर्वजों की क़ब्रों के पास गिड़गिड़ाते विनम्रता एवं विनयशीलता करते और अपने दिल से उनकी प्रार्थना करते हुए देखते हो व उन्हें अल्लाह के घर मस्जिद में नहीं करते हैं वे उनके पास नमाज़ पढ़ कर दुआ करके वे आशा रखते हैं जो उन मस्जिदों में नहीं रखते जिनकी ओर यात्रा करना मश्रू है।यह वह बिगाड़ है जिसके समाप्त का नबी सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम ने इरादा किया था। यहाँ तक कि आपने क़ब्र से नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया यद्यपि नमाज़ी का उस स्थान या उस भवन की बरकत का इरादा न हो उस बिगाड़ के कारण को रोकते हुए जिस के कारण से मूर्ति पूजा हुई और इब्ने तैमिया रह़िमदुल्लाह ने कहा है कि क़ब्रों को मसाजिद बनाना शिर्क के आधारों में से है।

उन्होंने अधिक यह कहा कि क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ना उन्हें मस्जिद बनाना और उस पर मस्जिदों का निर्माण करना वहाँ बड़ी बिदअ़तों और शिर्क के कारणों में से है।

चौथा कारण:

क़ब्रों को मस्जिद बनाने से रोकने का चौथा कारण उन क़बों के साथ विशेष है जो मस्जिदों में है वह यह कि मस्जिरों में क़बों का निर्माण उस वास्तविक नीति के विरूद्ध है जिस के लिए अल्लाह ने मस्जिदों के निर्माण को मशरू किया है और वह मस्जिदों को केवल अल्लाह का घर

मानना है उनमें उसके अलावा किसी को उसके साथ साझी ना किया जाए जबकि उनमें क़ब्रों का निर्माण जिसमें अल्लाह और उसके जीव के बीच में एक साझेदारी और मस्जिदों को अल्लाह और जीवों का घर बनाना है।

पांचवां कारण:

यह उन क़ब्रों के साथ विशेष है जो मस्जिदों में है अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों के लिए मस्जिदों के निर्माण को केवल अपनी और अपनी नमाज़ के सम्मान के इरादे से मशरू किया है मूर्ति के सम्मान के इरादे के लिए नहीं चाहि वे मुद्रे अंबिया,सदाचारी विद्धान हों चाहे उनके अलावा हों उनके पास नमाज़ पढ़ना मना है। इसलिए कि नमाज़ी के मन में केवल अल्लाह का आदर नहीं होती है।बल्कि वह उसके अलावा को उसके साथ साझी किये हुआ है और वह क़ब्र वाला है।

छठा कारण:

यह उन क़ब्रों के साथ विशेष है जो मस्जिदों में है।अल्लाह तआ़ला ने मुस्लमानों के लिए मस्जिदों में मुर्दों के दफन को पूर्णता से मशरू नहीं किया है।उसे पहली तीनों पसंदीदा शताब्यिों में न तो नबी सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम ने न उनके सहा़बा ने और न ही ताबई़ ने किया है। इसलिए मस्जिदों में क़ब्र बनाना अल्लाह के दीन में बिदअ़त हैं और हर

बिदअ़त गुमराही है।जैसा कि इरबाज़ बिन सारीया (रज़ीअल्लाहु अन्हु) की पिछली ह़दीस में आया है।

क़बों को मस्जिद न बनाने के प्रमाण

अनेक ह़दीसों में क़ब्रों को मस्जिद बनाने के संबंध में नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मनाही आई है फिर आपके मृत्यु रोग में मनाही पर बल दिया गया है।रोग की तीव्रता एवं उसकी गहनता के बावजूद आपने एक बार फिर उसकी मनाही पर बल दिया और आप नजा की स्थिति में थे।यह मामले की गंभीरता और उसके महत्व को बताता है।क्योंकि आप की यह स्थिति क़ब्रों को मसाजिद बनाने से रोकने से गाफिल नहीं कर पायी।इस अध्याय में नबी सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम से बीस से अधिक ह़दीसें आई हैं।

(१) जुंदुब बिन अ़ब्दुल्लाह बजली (रज़ीअल्लाह अन्हु) से वर्णित है कि उन्होंने फरमाया: मैंने नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को आप की मृत्यु से पांच दिन पहले फरमाते हुए सुना: मैं अल्लाह के सामने इस बात से बेज़ारी प्रकट करता हूँ कि तुम में से कोई मेरा (खलील) मित्र है क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने मुझे अपना मित्र बनाया है।जिस प्रकार कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को अपने मित्र बनाया था, और यदि में अपनी उम्मत में किसी को अपना मित्र बनाता तो अबूबकर (रज़ीअल्लाह अन्हु) को अपना मित्र बनाता,सुनो तुमसे पहले जो लोगा थे वे अपने पैगंबरों और

सदाचारियों की क़ब्रों को सजदागाह (माथा टेकने का स्थान) बना लिया करते थे अतः सावधान! तुम क़ब्रों को सजदागाह न बनाना मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ। (इसे मुस्लिम (522) ने रिवायत किया)

"इसी लिए सह़ाबा ने नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कब्रिस्तान में दफन करने के बजाय आ़यशा के कमरे में दफनाया ताकि आप की क़ब्र को नमाज़ पढ़ने का स्थान न बनाया जाए,इस कारण को आ़यशा ने स्पष्ट किया जैसा की आगे आने वाला है।"

(2) आ़यशा (रज़ीअल्लाहु अन्हा) की ह़दीस है उन्होंने कहा:नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने उस रोग में जिससे आप ठीक नहीं हो पाए फरमायाःअल्लाह त़आला यहूदियों और इसाईयों पर धिक्कार करे कि उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिदें बना डाली।वह कहती हैं कि यादि यही डर आप सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम के क़ब्र के साथ न होता है तो आप की क़ब्र को खुला रखा जाता परंतु आप को भय था कि कहीं उसे मस्जिद न बना लिया जाए।(इसे बुख़ारी (1330) और मुस्लिम (529) ने रिवायत किया और यह उसके शब्द हैं।इसे निसाई (2045) और अह़मद (6/252) ने रवायत किया और अल्बानी ने इसे सही़ कहा है।)

आ़यशा (रज़ीअल्लाहु अन्हा) की बात साफ है कि यदि सहा़बा को यह भय न होता कि लोग नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र को

मस्जिद बना लेंगे और उसके पास नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वे आप की क़ब्र को प्रत्यक्ष रखते यानी आप कब्रिस्तान में दफन किये जाते आप की क़ब्र अन्य क़ब्रों के जैसी लोगों के लिए खुली होती। लेकिन इस डर से कि लोग आप की क़ब्र को नमाज़ पढ़ने का स्थान बना लेंगें।जो उनकी क़ब्र पर मस्जिद का निर्माण अथवा उसके सामने नमाज़ पढ़ना चाहता था के रास्ते को रोकने के लिए सह़ाबा आप को आ़यशा रज़ीअल्लाहु अंहा के घर ही में दफनाने पर एकमत हो गए।

(3) आ़यशा (रज़ीअल्लाहु अन्हा) की ह़दीस है कि नबी सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह उस समुदाय पर धिक्कार करे जिसने अपने नबियों की क़ब्रों का मस्जिद बना डाला आप ने इसे अपनी उम्मत पर ह़राम कर दिया है।

(4) आ़यशा और इब्ने अब्बास (रज़ीअल्लाहु अन्हुमा) की ह़दीस है दोनों ने कहा:जब रसूलुल्लाह मृत्यु रोग में पड़ गए तो आप अपनी चादर को बार बार अपने मुँह पर डालते जब दम घुटने लगाता तो उसे अपने मुँह से हटा लेते। आप ने इसी स्थिति में फरमाया कि: धिक्कार हो उन पर जिन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना डाला आप उनके काम से डरा रहे थे। (इसे बुख़ारी (435-437) यहा उन्ही के शब्द हैं और मुस्लिम (521) ने रिवायत किया।

यह ह़दीस प्रथम ह़दीस के जैसी है। नबी सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम इस में क़ब्रों को मस्जिद बनाने वालों पर धिक्कार के द्वारा जैसा कि अहल-

ए-किताब (यहूद व ईसाई) ने किया अपनी उम्मत को उनके जैसा करने से सचेत कर रहे थे।इब्ने ह़जर रह़िमह़ल्लाह ने कहा कि मानो नबी सलल्लाह अलैहि वसल्लम को यह ज्ञान हो गया था कि आप इसी रोग से मरने वाले हैं इसलिए आप भूत काल की जैसे अपनी क़ब्र के सम्मान किये जाने से डरे।अत: आप ने यहूदियों और ईसाइयों को धिक्कार उनके कामों को करने वाले की निंदा की और विचार करना चाहिए कि नबी सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम ने अपनी मौत से पांच दिन पहले लोगों में पाये जाने वाले गुलू (अति सम्मान) से कठोरता से मना किया है जैसा कि जुंदुब की ह़दीस में है। आप ने एक बार फिर से उस पर बल दिया जैसा कि इस ह़दीस में है।इस स्थिति में कि आप मरने को थे। यह मामले की महानता एवं गंभीरता को बतलाता है।

और शैख अह़मद रूमी हनफी रह़िमहुल्लाह ने इस ह़दीस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ह़दीस "सिहा़हे मसाबीह़" में से है जिसे उम्मुल मोमेनीन (मोमीनों की माता) आ़यशा ने रिवायत की है यहूदियों और ईसाइयों पर धिक्कार करने का कारण यह है कि वे उन स्थानों में नमाज़ पढ़ते थे जहाँ उनके नबी दफन थे।इसी लिए आपने अपनी उम्मत को उनके अनुसरण करने से बचाते हुए क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया।

कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि सदाचारों की क़ब्रों से बरकत प्राप्त करने वाले स्थानों पर नमाज़ पढ़ना इस मनाही में दाखिल है। विशेषकर

यदि इसका कारण उनका आदर करना हो।इसी लिए नूह की कौम में मूर्ति पूजा का चलन हुआ था। उनके क़ब्रों पर ठहरने के कारण बना था जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने अपनी पुस्तक में इसकी जानकारी दी है।

(5) ओसामा बिन ज़ैद रज़ीअल्लाह अन्दुमा की ह़दीस है कि नबी सलल्लाह अ़लैहि बसल्लम ने अपने उस रोग में जिसमें आप का निधन हो गया फरमाया: मेरे साथियो! मेरे पास आओ अत: हम उनके पास गए।उस समय आप एक मआफिरी चादर से अपना चेहरा लपेटे हुए थे। आपने उसे हटाया और कहा यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की धिक्कार हो कि उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को मसजिद बना लिया। यह ह़दीस इस मामले में नबी सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम की रूचि को इंगित करती है क्योंकि आप अपने कुछ साथियों के सूनाने पर संतुष्ट नहीं हुए बल्कि आप अपने साथियों की जनसाधारण को समझाने पर उत्सुक हुए जैसा कि आपने कहा कि मेरे साथियो मेरे पास आओ।

(6) अबू हुरैरा की ह़दीस है उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा अल्लाह यहुदियों को नष्ट करे जिन्होंने अपने पैगंबर की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया।

(7) अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द से वर्णित है कि उन्होंने ने फरमाया: मैंने अल्लाह के रसूल सलल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कहते हुए सुना कि सबसे बुरे लोग ये हैं जिन पर क़्यामत स्थापित होगी और जिन्होंने क़ब्रों को मसाजिद बना लिया।

(8) अबू ओ़बैदा आ़मिर बिन जर्राह़ से वर्णित है उन्होंने कहा कि नबी ने अंतिम शब्द जो कहा था व वह यह था कि तुम लोग यहूदियों और अहले नज़रान को अ़रब से दूर कर दो। ज्ञात रहे कि क़ब्रों को मस्जिद बनाने वाले सब से बुरे लोग हैं।

(9) अबू हुरैरा की ह़दीस है उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि ए अल्लाह मेरी क़ब्र को बुत न बनाना कि उसकी पूजा की जाए अल्लाह की धिक्कार हो उस कौम पर जिस ने अपने पैगंबरों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया।

शैख साद बिन हम्द बिन अ़ली बिन अतीक ने इस ह़दीस पर टिप्पणी करते हुए कहा: कि जब आप ने अपनी दुआ़: अल्लाह मेरी क़ब्र को ऐसा बुत न बनाना जिस की पूजा की जाए और क़ब्रों को मस्जिद बनाने वालों पर अल्लाह के सख्त करोधी होने की सूचना को एक साथ मिलाया।यह इंगित करता है कि दुसरा प्रथम का कारण है।

और इब्ने अ़ब्दुल बर मालकी रह़िमहुल्लाह ने कहा:

"वसन" बुत है चाहि सोने चांदी की मूर्ति हो अथवा किसी और चीज़ की प्रतिमा अल्लाह के अलावा प्रत्येक वह चीज़ जिसकी पूजा की जाए वह "वसन" है चाहि वह बुत हो अथवा कोई और चीज़ अ़रब के लोग बुतों की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ते और उनकी प्रार्थना किया करते थे। इसलिए रसूल सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में

यह डर हुआ कि यह भी पूर्व की उम्मतों के मार्ग पर न चल पड़े जब उनमें किसी नबी का निधन हो जाता तो वे उनकी क़ब्र के ईर्द-गिर्द प्रार्थना के लिए जमकर बैठ जाते जैसा कि किसी बुत के साथ किया जाता था तो नबी सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम ने दुआ की: "ऐ अल्लाह मेरी क़ब्र को बुत न बनाना कि जिसकी ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाए सजदा किया जाए और प्रार्थना की जाए।उन लोगों पर अल्लाह का कठोर करोध अवतरित हुआ जिन्होंने ऐसा किया।रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने साथियों और अपनी पूरी उम्मत को पूर्व की उम्मतों के उस काम से डरा रहे थे जिन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों की ओर मुँह कर नमाज़ें पढ़ी और उनको किबला व मस्जिद बना लिया जैसा कि बुतपुजकों ने बुतों के साथ किया।वह उन को सजदा करते और उनका आदर करते थे और यह शिर्क-ए-अकबर है। और नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस काम में मौजूद अल्लाह की नाराजगी और करोध की अपनी उम्मत को सूचना देते हैं और इस बात की भी कि आप उन कामों को पसंद नहीं करते और आप अपनी उम्मत के बारे में चिंतित भी थे कि यह भी यहूदियों और ईसाइयों के अनुसगमन में उनके तरीकों को न अपना लें।

और आप सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अहल-ए-किताब (यहूद एवं ईसाइ) और सभी काफिरों के विरोध को पसंद करते थे और आप को अपनी उम्मत पर उनके अनुगमन का डर भी था। क्या तुम लोग आप

सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के उस फरमान को नहीं देखते जो शर्म दिलाने और फटकार के रूप में है।तुम अवश्य पूर्व के लोगों के मार्गों पर चलोगे जैसा कि जूता जूते के बराबर होता है।यहाँ तक कि उनमें से कोई गोह के बिल में प्रवेश हुआ तो तुम भी अवश्य उस में प्रवेश हो जाओगे।

इब्ने तैमिया ने कहा कि अल्लाह तआ़ला ने आप की दुआ़ स्वीकार किया अल्ह़म्दुलिल्लाह! आप की क़ब्र को "वसन" नहीं बनाया गया जैसा कि आप के अलावा की क़ब्र को बनया गया बल्कि कमरे के निर्माण के पश्चात कोई भी नहीं कर सकता है।इस से पहले वे किसी को दाखिल होकर उसके पास दुआ़ करने,नमाज़ पढ़ने और ना ही इस के अलावा कोई ऐसा काम करने का मौका देते थे जो आप के अलावा की क़ब्र के पास किया जाता हो।

यदि कोई जाहिल आपके कमरे में नमाज़ पढ़ता है अथवा अपनी आवाज को बुलंद करता है अथवा निषेध बात करता है तो ध्यान रहे कि यह आप के कमरे के बाहर किया जाता है ना कि उनकी क़ब्र के पास कोई भी कभी उनकी क़ब्र में दाखिल हो कर ना नमाज़ पढ़ सका और न ही दुआ़ कर सका न ही उसके साथ शिर्क कर सका जैसा कि उनके अलावा के साथ किया गया।और क़ब्र को बुत बना दिया गया।

इसलिए कि आ़यशा के जीवन में उनकी अनुमती के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता था और उन्होंने आप को क़ब्र के पास किसी को ऐसा काम करने का अवसर नहीं दिया जिसको आप ने निषेध कर दिया है।

उनके पश्चात वह कमरा बंद रहा यहाँ तक कि वह मस्जिद में दाखिल कर दिया गया और अब उसका दरवाजा बंद है और उस पर एक दुसरी दीवार बना दी गई है और केवल आपके घर की सुरक्षा के लिए की आप के घर को आप के मृत्यु का स्थान इस लिये बनाया गया कि आप की क़ब्र को बुत न बना दिया जाए।यह ज्ञात हो कि मदीना के सभी लोग मुस्लिम हैं।और वहाँ केवल मुसलमान ही जा सकता है।और वह सब नबी का आदर करते हैं उन्होंने इस सम्मान जनक क़ब्र को कम आंकने के लिए नहीं किया बल्कि यह इसलिए किया ताकि उसे बुत न बनया जाए और आप के घर को मेला लगाने का स्थान न बनाया जाए और उसके साथ वह न किया जाए जो अहल-ए-किताब (यहूद व ईसाई) ने अपने नबियों की क़ब्रों के साथ किया।

अबू मर्सद ग़नवी का बयान है कि नबी ने कहा तुम लोग क़ब्रों की ओर मुँह कर के नमाज़ न पढ़ो और ना हीं उन पर बैठो (इसे मुस्लिम (972) ने रिवायत किया और एक रिवायत में है कि तुम लोग क़बों पर मत बैठो और ना ही उनकी ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ो (इस मुस्लिम (972) ने रिवायत किया है।क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने का अर्थ उस की ओर मुँह करना है।

इमाम नौवी ने ह़दीस की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस में क़ब्र की ओर मुंह कर के नमाज़ न पढ़ने की स्पष्टता है।

अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास की ह़दीस है उन्होंने कहा:अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम लोग क़ब्र की ओर नमाज़ मत पढ़ो और न ही किसी क़ब्र पर बैठो।

अबू सई़द खुदरी की ह़दीस है कि अल्लाह के रूसल ने क़बों पर मजा़र बनाने उन पर बैठने और उनकी ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ने से मना किया है।

(10) अबू सई़द की ह़दीस है उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा: क़ब्र और प्रसाधन के अलावा पूरी की पूरी धरती मस्जिद है।यह ह़दीस इस बात की प्रमाण है कि क़ब्र और प्रसाधन में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं और प्रसाधन में नमाज़ क़ब्र पर नमाज़ से छोटा पाप है क्योंकि क़बों को मस्जिद बनाने वालों पर धिक्कार और फटकार में बहुत सी ह़दीसें आई हैं।

(11) अ़ब्दुल बिन उ़मर का ह़दीस है कि नबी ने कहा तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ो और उन्हें कब्रिस्तान मत बनाओ और एक रिवायत में है कि तुम अपनी कुछ नमाज़ें अपने घरों में पढ़ो और उन्हें कब्रिस्तान मत बनाओ और एक रिवायत में है कि तुम अपने घरों में नमाज़ें पढ़ो और उन्हों कब्रिस्तान न बनाओ।

इब्ने ह़जर "फतहुल बारी" में ह़दीस की व्याख्या करते हुए कहते हैं ह़दीस में आप का कथन कि तुम लोग उन्हें कब्रिस्तान मत बनाओ से सिद्ध

हुआ कि क़ब्र प्रार्थना का स्थान नहीं है उन में नमाज़ पढ़ना नापसंदी है। और इब्नुल मुंजिर ने "अलऔवसत" में कहा जिस पर अधिकतर विद्वानों की सहमती है अबू सईद की ह़दीस के कारण कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना मकरूह (ऐसा कार्य जिसका न करना करने से अच्छा हो) है।मेरा कहना है कि यहाँ कराहत का आशय कराहते तह़रीमी है ना कि कराहते तनज़ीही।मुतकद्दिमीन (पूर्व के पूर्वजों) के निकट कराहत का आशय कराहते तह़रीम होती है जैसा कि क़ुर्आन में है अल्लाह का फरमान है उसने कुफ्र,फिस्क और अवज्ञा को तुम पर ह़राम कर दिया है (अलहूजरात:7) और मुतख्खरीन (पश्चात के पूर्वजों) के निकट मकरूह वह है जिसके छोड़ने वाले को पुण्य दिया जाए और उसके करने वाले को यातना भी ना दी जाए और इब्नुल मुंजिर का उद्देश्य प्रथम वाला है इस लिए कि वह मुतकदिमीन (पूर्व के पूर्वजों) में से हैं।और इब्ने उ़मर की ह़दीस में नबी से सिद्ध है कि उन्होंने कहा तुम अपने घरों में कुछ नमाज़ें पढ़ो और उन्हें कब्रिस्तान न बनाओ सबसे स्पष्ट बात है कि कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है।

(12) अबू हुरैरा की ह़दीस है उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कहा तुम लोग मेरी क़ब्र को ईदगाह न बनाना और न ही अपने घरों को कब्रिस्तान बनाना तुम जहां भी रहो मुझ पर दुरूद भेजो इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है।इस ह़दीस में नबी ने जिन घरों में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है उनको

कब्रिस्तान से तशबीह दी है।अत: यह सिद्ध करता है कि कब्रिस्तान बिल्कुल नमाज़ पढ़ने का स्थान नहीं है।

और इसी प्रकार क़बों पर नमाज़ न पढ़ने के प्रमाणों में से एक ह़दीस है वह जिसे सईद बिन मंसूर ने अपनी "सुनन" में सोहैल बिन अबू सोहेल से रिवायत किया है कि ह़सन बिन अ़ली बिन अबू तालिब ने उन्हें रसूल की क़ब्र के सामने देखा तो उनसे कहा मैं आपको क़ब्र के पास देख रहा हूँ तो उन्होंने कहा मैं नबी पर सलाम भेज रहा हूँ उन्होंने कहा तुम मस्जिद में प्रवेश करो तब सलाम भेजो फिर कहा कि रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फरमान है तुम लोग मेरी क़ब्र को ईदगाह न बनाना और न ही अपने घरों को कब्रिस्तान बनाओ।अल्लाह ने यहूदियों को धिककार है कि उन्होंने अपने नबियों की क़बों को मसाजिद बना लिया तुम मुझ पर दुरूद भेजो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है चाहे तुम जहां कही भी रहो,तुम लोग और अंदलुस में रहने वाले एक समान हो।यह ह़दीस पूर्व ह़दीस के जैसी है।जिस में नबी ने उन घरों की कब्रिस्तान से तुलना की है जिनमें नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है।यह इस बात का प्रमाण है कि कब्रिस्तान बिल्कुल नमाज़ का स्थान नहीं है।

इब्ने तैमिया ने कहा है कि आप का फरमान कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ।अर्थात तुम उनमें नमाज़ पढ़ने दुआ़ करने और कुरान पढ़ने से न रूको तो वह क़ब्र की तरह हो जाएंगे इसीलिए आपने

घरों में प्रार्थना करने का आदेश दिया और क़बों के पास ऐसा करने से मना कर दिया,उसके विपरित जो ईसाई,मुश्रिक और दुसरे लोग करते हैं।

और अ़ली बिन हुसैन बिन अ़ली बिन अबू तालिब से रिवायत है कि उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र की खिड़की से अंदर दाखिल होकर वहां दुआ़ कर रहा है तो आपने उसे बुला कर कहा क्या मैं तुम को वह ह़दीस न सुनाउँ जो मैंने अपने पिता से और उन्होंने अपने पिता से सुनी हैं कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया: तुम लोग मेरी क़ब्र को ईदगाह न बनाना और न ही अपने घरों की कब्रिस्तान बनाना और मुझ पर दुरूद भेजो इस लिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है चाहे तुम जहां कही भी रहो।

और इस्माई़ल काजी़ की रिवायत में है कि तुम लोग मुझ पर दुरूद व सलाम भेजो चाहे तुम जहां कही भी रहो क्योंकि तुम्हारा दुरूद व सलाम मुझ तक जरूर पहुंचाया जाएगा।यह ह़दीस पूर्व ह़दीस के जैसी है जिस में नबी ने उन घरों की कब्रिस्तान से तुलना की है जिन में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है।अत: यह इस बात का प्रमाण है कि क़ब्र पूर्णरूप से नमाज़ पढ़ने का स्थान नहीं है। ।

और क़ब्रों पर नमाज़ के ह़राम होने के प्रमाणों में से एक यह है कि मस्जिद-ए-नबवी का स्थान निर्माण से पूर्व मुशरिकीन की एक क़ब्र थी नबी ने उन क़बों को तोड़ दिया हैं और मृतको के अवशेष को मुंतकिल

कर दिया फिर भूमि को समतल कर दिया उसके पश्चात मस्जिद का निर्माण किया उस स्थान से क़बों को हटाने के बाद ही किसी मस्जिद का निर्माण हुआ है।

कब्रिस्तान में नमाज़ के ह़राम (अवैध) होने का एक प्रमाण यह है कि सह़ाबा ने ऐसा करने वाले की निन्दा किया है और सहा़बा का इंकार हुज्जत (प्रमाण) होने के लिए प्रयाप्त है इस लिए कि वे क़्यामत के स्थापति होने तक मुसलमानों के लिए उदाहरण हैं जैसा कि अनस रज़ीअल्लाहु अंहु से रिवायत है कि उन्होंने कहा एक दिन मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ इस अवस्था में कि मेरे समाने एक क़ब्र थी जिसका मुझे ज्ञान नहीं था उ़मर ने मुझे आवाज दी क़ब्र! क़ब्र! मुझे लगा इसका मतलब क़ब्र है मुझे मेरे सामने के एक व्यक्ति ने कहा कि उनका मतलब क़ब्र है अत: मैं उस स्थान से हट गया है।

(رواه البخارى تعليقاً في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد و وصله البيهقي في الكبرى (٢/٤٣٥) اللفظ له و عبدالرزاق في مصنفه(١٥٨١)

साबित ने कहा जैसा कि अ़ब्दुल रज्जा़क की रिवायत में है कि अनस जब नमाज़ पढ़ने का इरादा करते तो मेरे दोनों हाथों को पकड़ते और क़ब्रों से दूर हो जाते मैंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि सहा़बा के बीच यह तय थी कि क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ना ह़राम है।

क़ब्रों के पास नमाज़ के ह़राम होने की बात सह़ाबा व ताबेई़न की एक समूह से वारिद है जैसे अनस,अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर,ह़सन अरनी,मुसैयब

बिन राफे,खैसमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान,इब्राहीम नखई़,इब्ने सीरीन और मकहूल।

क़बों को मसाजिद न बनाने के प्रमाणों में से एक यह है कि नेक लोगों की क़ब्रों पर पढ़ी हुई नमाज़ का पुण्य होना असंभव है क्योंकि इसे नबी ने नहीं किया है और ना ही उनके पश्चात के साथियों ने जब्कि नेक काम करने के लिए वे सबसे उत्सुक एवं उसके सबसे अधिक जानकार थे।और वे क़्यामत के स्थापित होने तक मुसलमानों के लिए उदाहरण हैं विशेष कर नबी ने हमें पवित्र स्थानों की जानकारी दी और अपनी उम्मत को उनमें नमाज़ पढ़ने के लिए आग्रह किया जैसे तीनों मसाजिद और मस्जिदे कुबा ।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया का कहना है कि उम्मत के पूर्वजों में से किसी ने न सह़ाबा के युग में न ताबई़न के युग में और न ही तबा ताबई़न के युग में पैगंबरों और बुर्ज़गों की क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने एवं दुआ़ करना का इरादा किया ना उन्होंने ने उन से मांगा और न ही उनसे सहायता मांगी न उनकी उपस्तिथि में और न ही उनकी क़ब्रों पर।

उन्होंने यह भी कहा कि लोग आ़यशा रज़ीअल्लाहु अंहु के जीवन में ह़दीस सुनने,फतवा पूछने और उनके दर्शन करने के लिए उनके पास जाते थे वह क़ब्र के पास नहीं जाता।नमाज़ के लिए ना ही दुआ़ के

लिए,और ना हीं इसके अलावा किसी अन्य कार्य के लिए।कभी कभी कोई उनसे क़ब्रें दिखाने की आग्रह करता तो वह उन्हें दिखा देती थीं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रसिद्ध है और धर्म की ज्ञात बात है कि नबी ने मस्जिदें निर्माण करने एवं उनमें नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया परंतु किसी भवन के निर्माण का आदेश नहीं दिया न तो किसी नबी की क़ब्र पर ना हीं किसी नबी के अलावा की क़ब्र पर और ना ही किसी नबी के ठहरने के स्थान पर और सहाबा ताबईन और तबा ताबेईन के युग में इस्लामी देशों न हिजाज़ न सीरिया न यमन न इराक न खुरासान न मिस्र और न ही पश्चिम में कहीं भी किसी क़ब्र पर मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ और न ही किसी भवन का जिसके दर्शन के लिए यात्रा किया जाए।

(13) क़बों के पास नमाज़ पढ़ने के हराम होने का एक प्रमाण यह है कि खलीफा-ए-राशिद उमर ने उस स्थान पर नमाज़ पढ़ने से रोक दिया था जिस स्थन पर नबी ने नमाज़ संयोगवश पढ़ी।फिर उस स्थान पर नमाज़ कैसे ठीक हो सकती है जहाँ रसूल ने नमाज़ पढ़ने से रोका हो जैसे कब्रें ?

मारूर बिन सुवैद का बयान है कि उन्होंने कहा हम उमर रज़ीअल्लाहु अंहु के साथ हज्ज यात्रा पर थे तो उन्होंने हमें फजर में ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل **और** لإيلاف قريش **पढ़ाई जब वह अपना हज्ज पूरा कर**

के वापस हुए तो देखा लोग प्रार्थना के लिए एक स्थान की यात्रा कर रहें हैं,उन्होंने प्रश्न किया यह किया है?तो उत्तर मिला वह मस्जिद है जिसमें अल्लाह के रसूल ने नमाज़ पढ़ी थी।उन्होंने कहा इसी प्रकार अहले किताब (यहूद व ईसाई) बर्बाद हुए।उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को गिरजाघर बना लिया।तुम में से जिसको नमाज़ मिल जाए उसे मस्जिद में पढ़ लेना चाहिए और जिसको न मिले वह न पढ़े और एक रिवायत में है कि उन्होंने कुछ लोगों को एक मस्जिद में उतर कर नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो उन से इस विषय में प्रश्न किया तो उत्तर मिला यह वह मस्जिद है जिस में नबी ने नमाज़ पढ़ी थी।यह सुनकर उ़मर रज़ीअल्लाहु अंहु ने कहा तुमसे पूर्व वे लोग नष्ट कर दिये गए जिन्होंने अपने नबियों के आसार (अवशेषों) को गिरजाघर बना लिया।जिस किसी का गुजर किसी मस्जिद के समाने से हो और नमाज़ का समय हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए अन्यथा उसे गुज़र जाना चाहिए।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने उ़मर रज़ीअल्लाहु अंहु के कथन की नीति की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसका कारण यह है कि अल्लाह ने मुसलमानों के लिए विशेष रूप से मस्जिदों को छोड़ कर कोई ऐसी स्थान मश्रू नहीं किया जिस की वे प्रार्थना के लिए नीयत करे,जो मस्जिद नहीं है प्रार्थना के लिए उसकी ओर यात्रा करना ठीक नहीं है चाहि वह किसी नबी का भवन हो अथवा किसी नबी की क़ब्र हो।

क़बों के पास नमाज़ ह़राम (अवैध) होने के प्रमाणों में से एक यह है कि यह काफिरों की नकल है।जैसा कि पिछली तीनों ह़दीसें इस पर साक्ष्य हैं।और नबी के कथन के अनुसार काफिरों की नकल करने वालों के विरूध सख्त चेतावनी आई है जिसने किसी कौम की नकल की तो वह उन्हीं में से है।

और आप अहले किताब (यहूद एवं ईसाई) और सभी काफिरों के विरोध को पसंद करते थे और अपनी उम्मत को उनके पीछे चलने से डराते थे। क्या आप उन्हें चेतावनी के रूप में कहते हुए नहीं देखते कि "तुम लोग अवश्य अपने से पूर्व लोगों की नकल करोगे यहाँ तक कि यदि ये लोग किसी गोह के बिल में प्रवेश किये होंगे तो तुम भी उसमें प्रवेश करोगे। हमने प्रश्न किया ऐ अल्लाह के नवी!यहूदि और ईसाई?आपने कहा फिर कौन हो सकते हैं?" (बुखारी:3456,मस्लिमः2669),और व्यवहारिक समकालीन उदाहरणों में से एक यह है कि क़ब्रों को मस्जिद बनाना काफिरों का धर्म है जिसका उल्लेख शेख मुहम्मद नासिरूद्दीन अलबानी ने अपनी पुस्तक "تحذير المساجد من اتخاذ القبور مساجد" में किया है।उन्होंने कहा कि मैंने वेटिकन एक प्राचीन पवित्र नगर शीर्षक के अंतर्गत अलमुख्तार के मई 1958 के अंक में एक लेख पढ़ा है उसमें उसके लेखक रोनालड कालोसि पोटर्स उस नगर में मौजूद चर्च पीटर्स का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सेंट पीटर्स चर्च ईसाई दुनिया में अपने प्रकार का सबसे बड़ा चर्च है जो सोलह से अधिक शताब्दियों से ईसाई पूजा के

लिए समर्पित एक मैदान पर है यह सेंट की क़ब्र पर खड़ा है।एक मसीह़ के मछुआरे एक मित्र की क़ब्र है।उसके नीचे प्राचीन क़बों और प्राचीन रोमन खंडहरों की एक बड़ी संख्या मौजूद है फिर उन्होंने उल्लेख किया कि बड़े त्योहार के दिनों में पूजा के लिए लगभग एक लाख लोग उसकी यात्रा करते है।

और क़ब्रों के पास नमाज़ ह़राम होने के स्पष्ट प्रमाणों में से एक यह कि इस्लाम के इमामों की इस पर सहमती है और यह ज्ञात रहे कि मुसलमानों का इज्मा (एकमत) एक धार्मिक प्रमाण है जैसा कि नबी का फरमान है कि अल्लाह तआ़ला मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं करेगा और जमाअ़त पर अल्लाह की हाथ है। (तिरमिज़ी: 6167)

और इब्ने रजब ने ह़दीस "अल्लाह ने यहूदियों और ईसाईयों को धिक्कार है।जिन्होंने अपने नबियों की क़ क़ब्रों को मस्जिद बना लिया" की व्याख्या करते हुए कहा है कि क़ब्रों के पास नमाज़ के अवैध होने पर इमामों की सहमती है।उन्होंने कहा कि इस्लाम के इमाम इस अर्थ पर सहमत हैं अर्थात क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ना वर्जित है।

इसी प्रकार से इब्ने तैमिया ने भी इसकी सहमती व्यक्त की है।जैसा की उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी नबी अथवा बुर्ज़ग की क़ब्र पर नमाज़ की यात्रा करे उस स्थान पर नमाज़ पढने को बरकत का कारण समझते हुए तो यह अल्लाह और उसके रसूल से कठोर शत्रुता है उसके धर्म का उल्लंघन और दीन में नई चीज़ प्रचलित करना है जिसकी

अनुमती अल्लाह ने नहीं दी है।क्योंकि मुसलमान उस बात पर सहमत हैं नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के धर्म के संबंध में आवश्यक रूप से जानते हैं कि किसी प्रकार की क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने की कोई फजीलत एवं महत्व नहीं है और न ही उस स्थान पर नमाज़ पढ़ने का कोई लाभ है बल्कि उससे हानी है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसी लिए पूर्वज में से किसी ने यह नहीं कहा कि क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ना मुस्तह़ब है,उसमें फजीलत है और न ही वहाँ नमाज़ पढना और दुआ़ करना उसके अलावा की स्थान में नमाज़ पढ़ने और दुआ़ करने से अधिक महत्वपूर्ण है बल्कि सामान्य सहमती है कि मस्जिदों और घरों में नमाज़ पढ़ना नबियों और बुर्ज़गों की क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसलामी विद्धानों की इस बात पर सहमती है कि क़ब्रों के पास नमाज़ और दुआ़ करना जायज़ नहीं है।मुसलमानों के इमामों में से किसी इमाम से सिद्ध नहीं है कि किसी क़ब्र के पास की नमाज़ एवं दुआ़ बिना क़ब्र वाली मस्जिदों की नमाज़ और दुआ़ से अधिक बेहतर है बल्कि मुसलमानों के विद्धानों की सहमती है कि बिना क़ब्र वाली मस्जिदों की नमाज़ और दुआ़ क़ब्र वाली मस्जिदों की नमाज़ और दुआ़ से अधिक बेहतर है बल्कि उनकी सहमती है कि क़ब्र वाली मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने और दुआ़ करने से रोका गया है।

और बहुत से लोगों ने ऐसी नमाज़ को निषेध कहा है बिल्क उसको व्यर्थ माना है।

उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों के इमाम इस पर सहमत हैं कि मशाईर (धार्मिक प्रतीक) में नमाज़ पढ़ने की आज्ञा नहीं है न ही यह अनिवार्य है और न ही मस्जिद के अलावा क़ब्रों अथवा किसी भूमि पर बने मज़ार में नमाज़ पढ़ने की कोई फजी़लत है।जो यह विश्वास रखता है कि उन के पास नमाज़ कुछ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अधिक बेहतर है तो मुस्लिम समुदाय से अलग हो गया और उसने धर्म का उल्लंघन कियाड।बल्कि इमाम इस पर सहमत हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ना निषेध है यही वह अर्थ है जिनकी व्याख्या इस्लाम धर्म के इमामों जैसे असह़ाबे मालिक,शाफई़,अह़मद अहले इराक और उनके अलावा ने की है।बल्कि वह अनस से भी सिद्ध है।

पिछली हदीसों से हमारे लिए यह स्पष्ट हो गया कि क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने की मनाही के लिए निश्चित प्रमाण हैं।कैसे नहीं?जबकि पांच ऐसे प्रारूप आए हुए हैं जिनमें ऐसा करने वाले के लिए कड़ी फटकार है।

प्रथम:ऐसा करने वाले को धिक्कार गया है।

द्वतीय:वह यहूदियों और ईसाइयों की सुन्नतों और उनके तरीकों में से है।

तृतीय:इस कार्य से स्पष्ट रूप से रोका गया है।जैसे आप सलल्लाह अ़लैहि वसल्लम का कथन:तुम मेरी क़ब्र को ईदगाह मत बनाना।

चौथा:ऐसा करने वाले को बर्बाद होने की बददुआ़ (अभिशाप) दी गई।अर्थात अल्लाह उसको नष्ट करे।

पांचवा:ऐसा करने वाले का गुण बयान की गई कि क़्यामत के दिन अल्लाह के निकट सबसे बुरे लोग होंगे।

क्या इन फटकार के पश्चात भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखने वाला क़ब्रों के पास नमाज़ के ह़राम होने के बारे में वाद विवाद करेगा।

क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने के विषय में कुछ इस्लामी विद्धानों की रायें

इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह ने कहा है कि हमें इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने सूचना दी कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआ़ला यहुदियों और ईसाइयों को नष्ट करे उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया।अ़रब की धरती पर दो धर्म एक साथ नहीं रह सकते।

उन्होंने कहा यह काम सुन्नत और आसार के कारण अप्रिय है और किसी मुसलमान की क़ब्र को मस्जिद बना लेना मकरूह है।यह कराहत हराम के अर्थ में है।पिछले लोगों के निकट जैसा कि कुर्आन में कराहत शब्द का अर्थ हराम बतया गया है।इस आयत में (وكره إليكم الكفر و الفسوق و العصيان) **और पश्चात के लोगों (विद्धानों) के निकट कराहत का अर्थ होता है:जिस के छोड़ने वाले को पुण्य दिया जाए और उसके करने वाले को यातना न हो।और इमाम शाफ़ई के कहने का मतलब भी प्रथम अर्थ है।**

अबू बकर अल-असरम कहते हैं कि मैंने अहमद बिन हम्बल को कहते सुना जब उनसे क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने के विषय में पूछा गया तो उन्होंने नापसंद किया,तब उन से कहा गया मस्जिद क़ब्रों के बीच में

होती है तो उस में नमाज़ पढ़ना कैसा?है तो उन्हों ने भी इसे नापसंद किया।

अह़मद ही से कहा गया कि मस्जिद और क़ब्र के बीच कोई रूकावट हो तब नमाज़ पढ़ना कैसा है?अह़मद ने उत्तर दिया फर्ज़ नमाज़ मकरूह है लेकिन जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जासकती है।इमाम अह़मद ने अबू मरसद ग़नवी की ह़दीस का ज़िक्र किया जो उन्होंने नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि "क़ब्रों की आरे मुंह कर के नमाज़ न पढ़ों" और कहा कि इस ह़दीस की सनद जैय्यिद है।(फतहुल बारी/ इब्ने रजब: ३/१९०)।

इब्ने अब्दुलबर अपनी पुस्तक"अल तमहीद"में लिखते हैं:"इमाम अबू ह़नीफा,औज़ाई,इमाम शाफई और उनके शिष्यों के नज़दीक क़ब्रिस्तान में नमाज़ मकरूह है। (किताब उक्तुस्सलात,अध्याय नौम अ़निस्सलात)

इब्ने कुदामा अपनी पुस्तक "अल-मुग़नी" में कहते हैं कि हज़रत अ़ली, इब्ने अ़ब्बास, इब्ने उ़मर,अ़ता,नखई और इब्नुल मुंज़िर ने भी

क़ब्रिस्तान में नमाज़ मकरूह माना है।

(अध्याय:अलसलात फिल नजासा वगैरा जा़लिक:२/४६८)

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि अधिकांश फिक्ही पंथों के धर्म गुरुओं ने क़ब्रिस्तानों में मस्जिद बनाने के निषेध होने को स्पष्ट बयान

किया है।उदाहरण स्वरूप इमाम मालिक,शाफ़ई,और अ़हमद के अनुयाई एवं कुफा के विद्धानों ने भी।अधिकांश विद्धानों ने इसे ह़राम की श्रेणी में रखा है और इस संबंध में कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बलपूर्वक इससे रोका है और ऐसा करने वालों पर अभिशाप भेजी है। (मजमुउ़ल फतावा:٢٧/١٦٠)

क़ब्रों को मस्जिद बनाने रूप

क़ब्रों को मस्जिद बनाने के तीन रूप हैं:

(1) यह कि क़ब्र खुली हुई भूमि में हो।कब्रिस्तान में हो या चटियल मैदान में और व्यक्ति जा कर उस के पास नमाज़ पढ़े।

(2) यह कि क़ब्र मस्जिद के भवन के अंदर हो चाहि क़ब्र मस्जिद के भवन से पहले बनी हो और उस के पश्चात मस्जिद बनाई गई हो। अथवा मस्जिद पहले बनाई गई हो बाद में उस में शव दफन किया गया हो।चाहे क़ब्र मस्जिद के किबला की ओर हो अथवा पीछे हो अथवा दायें हो अथवा बायें।

(3) यह कि क़ब्र मस्जिद के आंगन में हो जैसा कि कुछ मस्जिदों की स्थिति है।जहाँ मस्जिद आंगन से घिरी हुई होती है पास में दीवार होती है।अथवा चहारदिवारी होती है जो मस्जिद की भूमि को घेरे हुई होती है। ऐसी स्थिति में क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ना क़ब्रों को मस्जिद बनाना माना जाएगा।क्योंकि क़ब्र मस्जिद के लिए दान की भूमि के भीतर होती है।

क़ब्रों को मस्जिद बनाना ह़राम है चाहे नमाज़ी के लिए क़ब्र का स्थान जहाँ भी हो।

क़ब्रों के ऊपर बनी हुई मस्जिदों में नमाज़ ह़राम है हर स्थिति में।चाहे क़ब्र मस्जिद में हो अथवा क़ब्रिस्तान में अथवा चटियल मैदान मैं। अथवा चाहे क़ब्र नमाज़ी के सामने हो अथवा उसके पीछे अथवा उसके दायें अथवा उसके बायें अथवा अथवा खुली हुई भूमि में हो अथवा मस्जिद में हो।या वह मस्जिद जिस के अंदर क़ब्र हो वह पहले बनाई गई बाद में मुदी दफन किया गया हो या क़ब्र पहले से हो बाद में मस्जिद बनाई गई हो अथवा क़ब्र उसी मंज़िल पर जिस पर नमाज़ी नमाज़ पढ़ता अथवा ऊँची मंज़िल पर अथवा नीचली मंजिल पर अथवा क़ब्र मस्जिद के भवन के अंदर हो अथवा उसके आंगन में हो क्योंकि मस्जिद का आंगन मजिस्द के अंतर्गत होता है।जब क़ब्र वाले का सम्मान इन समस्त स्थितियों में एक जैसा हो तो ऐसी स्थिति में वहाँ नमाज़ पढ़ना ह़राम है क्योंकि इस्लामी शरीअ़त में यह बात सबको मालूम है कि शरीअ़त का हुक्म अपने कारण के साथ उपस्थित अथवा अनुपस्थित होता है और यहाँ कारण नमाज़ के स्थान पर क़ब्र की उपस्थिति है।परिणाम स्वरूप नमाज़ में ध्यान अल्लाह के बजाए शवों की ओर जाएगा।

तंबीह:इस की ह़ुरमत और कठोर हो जाती है जब नमाज़ क़ब्र की ओर हो दो कारणों से

(1) नमाज़ पढ़ने वाला जब क़ब्र को अपने सामने रखता है तो उस के दिल में क़ब्र वाले का अति अधिक सम्मान होता है।

(2) यह कार्य मूर्ति पूजकों के कार्य के जैसा है जो अपने पूज्यों को अपने सामने रख कर पूजा करते हैं।यह स्वयं में निषेध है।

क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने का हुक्म वैधता अथवा अवैधता के दृष्टिकोण से

कोई पूछने वाला पूछ सकता है कि हमें मालूम हो गया कि क़ब्रों के पास नमाज़ ठीक नहीं परंतु कोई पढ़ ले तो व्यर्थ हो जायगी और उसे लोटाना पड़ेगा?या पाप होगा और नमाज़ सही होगी?

उत्तर:ऐसी नमाज़ के सही होने के विषय में विद्धानों के कई मत हैं कुछ ऐसी नमाज़ व्यर्थ मानते हैं,यही कथन इब्ने तैमिया और इब्ने हजम का है।

इब्ने तैमिया के शिष्य इब्ने क़य्यिम कहते है। "इस प्रकार की मस्जिद में नमाज़ ठी नहीं" (زاد المعاد ٣\٥٧٢)

सारांश यही है कि अधिकांश विद्धानों के यहाँ क़ब्रों के पास नमाज़ दुरूस्त नहीं।कुछ विद्धान यह भी कहते है कि नमाज़ हो जायगी किन्तु उसे पाप होगा।इस लिये अच्छा यही है कि इस से बचा जाए।

अपवाद:क़ब्रों के पास वही नमाज़ मना है जो रूकू सजदे वाली हो। जनाज़े की नमाज़ क़ब्रिस्तान में जायज़ है।और इसका प्रमाण अबू हुरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु की यह ह़दीस है कि एक काला व्यक्ति अथवा काली महिला जो मस्जिद में झाड़ू लगाती थी।उसका निधन हो गया,नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसके विषय में पूछा तो बताया गया कि

उसका निधन हो गया।आप ने फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया?उसकी क़ब्र बताओ।फिर उसकी क़ब्र पर आपने नमाज़ पढ़ी।

(رواه البخاري:٤٥٨ و اللفظ له و مسلم:٩٥٦)

इब्ने ह़िब्बान ने अपनी पुस्तक (المجروحين) के अन्दर बकर बिन ज़्याद बाहली,अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक,सईद बिन अबी उरूबा,ज़रारा बिन औफा और अबू हुरैरा रज़ीअल्लाहहु अ़न्हुम से रिवायत है कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कहा (मेराज की रात मुझे बैतुल मकदिस की यात्रा कराई गई,जिबरील ने मेरे पिता के क़ब्र से मेरा गुज़र करवाया और कहा ऐ मुहम्मद यह आपके पिता इबराहीम की क़ब्र है।

फिर मेरा गुज़र बैते लहम के पास से हुआ और कहा यहाँ ठहरो और दो रकअ़त नमाज़ पढ़ो नि:संदेह यहाँ मेरे भाई के लड़के ईसा हैं।फिर मुझे घाटी में लाया गया और कहा यह आकाश की उचाई है।कुछ लोगों का ख़्याल है कि इस ह़दीस में क़ब्र के पास नमाज़ के जवाज़/वैध का प्रमाण मिलता है।तो उत्तर यह है कि यह ह़दीस मनगढ़त है।इब्ने ह़िब्बान ने इसको रिवायत किया है।फिर कहा मोह़म्मद बिन अह़मद बिन इबराहीम ने इसको रमला से रिवायत किया है।फिर कहा अ़ब्दुल्लाह बिन सुलैमान बिन उ़मैर अल-बलवी अल-मकदसी ने हमसे रवायत किया।फिर कहा। बकर बिन ज़्याद अलबाहली ने हमसे ब्यान किया।

इब्ने ह़िब्बान ने बकर के बारे में कहा कि वह दज्जाल है और सिकह (विश्वसनीय) रावीयों पर ह़दीस को गढ़ता है पुस्तकों में केवल उसकी खराबियों का ही ज़िक्र मिलता है।

ज़हबी ने "मीज़ानुल ए़तेदाल" ميزان الإعتدال **में इब्ने ह़िब्बान की सत्यता को स्वीकार किया है। "तरतीबुल मौज़ुआ़त" में इसका ज़िक्र किया है। शौकानी ने भी इसको (एलफवाईद अल मजमुआ़ फिल अहा़दीस अलमौज़ूआ)** (الفوائد المجوعة في الأحاديث الموضوعة) **में ज़िक्र किया है।**

इब्ने जौज़ी ने इब्ने ह़िब्बान ही की जैसी पुस्तक (अलमौज़ूआ़त मिन अहा़दीस अलमरफुआ़त) (الموضوعات من أحاديث المرفوعات) **में रिवायत किया है।**

क़ब्रों पर मस्जिद के निर्माण का मसला

क़ब्र के पास केवल नमाज़ पर लोगों ने बस नहीं किया है बल्कि उन्होंने उस पर मस्जिदों का निर्माण किया नमाज़ स्थापित करने के लिए और नियमितता के साथ जमे रहे चाहे वह फर्ज़ नमाज़ हो अथवा नफल। उनका मानना है कि क़ब्र वाली मस्जिदों में नमाज़ स्थापित करने का बहुत बड़ा पुण्य है और जो मस्जिदें क़ब्र के निकट होती हैं वहाँ दुआ अधिक स्वीकार होती है उन मस्जिदों की तुलना में के जो क़ब्रों से दुर होती है।

बल्कि कुछ लोग मस्जिदों के निर्माण में बहुत धन खर्च करते हैं फिर यह वसीयत करते हैं कि उसे उसमें दफन किया जाए।

और जब हम नबी की सुन्न्त की ओर लौटते हैं तो हमे पता चलता है कि नबी ने ऐसों पर अभिशाप भेजा है और यह बताया है कि कल क़्यामत के दिन अल्लाह के निकट बहुत घटिया व्यक्ति होगा।

क़ब्रों पर मस्जिद निर्माण के निवारण के प्रमाण

(بيان ادلة النهي عن بناء المساجد على القبور)

इस लेख के पहले भाग में नौ सही ह़दीसों का ज़िक्र हो चुका है जिनमें क़ब्रों को मस्जिद बनाने की मनाही आई है।हमने यह भी जाना कि क़ब्रों को मस्जिद बनाने का सबसे प्रचण्ड रूप यह है कि उस पर मस्जिदें बना दी जाएं।

दसवां प्रमाण:

जो क़ब्रों पर मस्जिद के निर्माण के मनाही में विशेष एवं स्पष्ट है।और वह आ़यशा रज़ीअल्लाहु अंहा से वर्णित है कि उम्मे ह़बीबा और उम्मे सलमा ने एक ऐसे गिरजाघर के विषय में बताया जिसे उन्होंने हब्शा में देखा था जहाँ ईसा अ़लैहिस्सलाम की चित्र रखी हुई थी तो रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कहा यह वही लोग हैं जिन के सदाचार व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उनके क़ब्र पर मस्जिद बना देते हैं और वहाँ इन की चित्रों को रख देते हैं,क़्यामत के दिन ऐसे लोग अल्लाह के निकट सबसे बुरे होंगें। (बुखारी:٤٢٧,मुस्लिम:٥٢٨)

इब्ने अ़ब्दुलबर रह़िमहुल्लाह ने कहा कि मुसलमानों पर यह ह़राम है कि वह नबियों,विद्धानों एवं सदाचारियों की क़ब्रों पर मस्जिद बनाएं।

इब्ने रजब रहि़महुल्लाह ने कहा है कि यह ह़दीस सदाचार लोगों की क़ब्रों पर मस्जिद के बनाने की हुरमत बवैधता को बताती है और उनके रूपों की चरित्र बनाने पर भी जैसा के ईसाई लोग करते थे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति पर ह़राम है।व्यक्तियों की चीत्रों को बनाना ह़राम है।किसी की भी क़ब्र पर मस्जिद का बनाना ह़राम है।जैसा के दुसरा प्रमाण इस पर स्पष्ट साक्ष्य है।

ग्यारहवां प्रमाण:

इब्ने अ़ब्बास रज़ीअल्लाहु अंहुमा से रिवायत है कि नबी ने क़ब्रों के दर्शन करने वालियों पर अभिशाप भेजी है।और उस पर मस्जिद बनाने वालों, चिराग चलाने वालों पर अभिशाप भेजा है।

बारहवां प्रमाण:

क़ब्रों पर मस्जिद के बनाने की मनाही में क़ुर्आन से प्रमाण:

इब्ने रजब रहि़महुल्लाह ने कहा: क़ुर्आन की आयत वही बताती है जो यह ह़दीस बताती है। अल्लाह का यह फरमान:

(قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذون عليهم مسجدا) (الكهف: ٢١)

अर्थात:उन्होंने कहा जो अपना प्रभुत्व रखते थे,हम अवश्य उन (की गुफा के स्थान) पर एक मस्जिद बनायेंगे।

मस्जिदों पर क़ब्रों का निर्माण करना।

तेरहवां प्रमाण:

सहा़बा ताबई़न का एकमत है कि पहली तीन शताब्दियों में लोगों पर फजी़लत एवं महत्व प्राप्त है वे मस्जिद में दफन करने के पक्ष में नहीं हैं और इसी प्रकार से क़ब्रों पर मस्जिदों के निर्माण में भी चाहे जिनकों दफन किया गया वह अपने युग के सर्वोत्तम पुरूष हो और सबसे अफज़ल उम्मत हो ।

क़ब्रों पर मस्जिदों के निर्माण में सहा़बा की नापसंदीदगी का उल्लेख आया है।जिसको इब्ने अबी शैबा ने अपनी पुस्तक (مصنف) में अनस से रिवायत किया है कि वह क़ब्रों के बीच मस्जिदों के निर्माण को नापसंद करते थे।ताबई़न ने भी क़ब्रों पर मस्जिद बनाने को नापसंद किया है। जिसको इब्ने अबी शैबा ने इबराहीम नख़ई से रिवायत किया है कि वह क़ब्रों पर मस्जिद के बनाए जाने को पसंद नहीं करते थे।

अलबानी रहि़महुल्लाह ने कहा:"इबराहीम यह इब्ने यजी़द अल नखई हैं और ताबई़ सगी़र (छोटे) हैं।जिनकी मृत्यु 96 हिजरी में हुई।यह हुकम यकीनन कुछ सहा़बा अथवा उनके जानने वालों से प्राप्त किया। इसमें स्पष्ट प्रमाण है कि वे लोग इस हुक्म को बाकी और नबी के पश्चात बाकी रहने को देखते है।"

इब्ने तैमिया रहि़महुल्लाह ने कहा:क़ब्रों पर बनाई गई मस्जिदों को "मशहिद" का नाम दिया जाता है जो इस्लाम में नई बात अथवा चीज़

का अविष्कार करना है जो इस्लाम में बिदअ़त है।कुरूने सलासह (प्रथम तीन शताब्दी) में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई गई।जबकि इब्ने तैमिया ने माना कि क़ब्रों पर मस्जिदों का बनाना तीसरी शताब्दी के अंत में पाया जाता है।क़ब्रों पर मस्जिदों का निर्माण एवं उनका जगह जगह फैल जाना यह उस समय हुआ जब बनु अ़ब्बास का शासन एवं सरदारी कमजोर पड़ गई और उम्मत कई भागों में बंट गई।मुसलमानों के वस्त्रों में उस समय अधिकांश काफिर थे और उसके अंदर बिदअ़त का बोल बाला था और यह तीसरी शताब्दी के अंत में मुकतदिर के शासन काल में हुआ।फिर पश्चिम की धरती पर करामत/चमतकार प्रकट हुआ फिर वह लोग मिस्र आए और उससे बनु बुवैह का अस्तित्व हुआ और उनमें से अधिकांश काफिर और बिदअ़ती थे।

मज़ाहिबे अ़रबा (चारों फिक्ही पंथी) में क़ब्रों पर मस्जिद का निर्माण ह़राम है।

क़ब्रों पर मस्जिद निर्माण करने के संबंध में चारों फिक्ही पंथों की रायें

ह़दीस में आए हुरमत (अवैधता) के आधार पर चारों इमाम ने क़ब्रों पर मस्जिद बनाने को ह़राम कहा है।नीचे उनके कथन आ रहे हैं।

अह़नाफ का मतः इमाम मुहम्मद रह़िमहुल्लाह ने कहा जो इमाम अबू ह़नीफा के विद्यार्थी हैं:

हम मकरूह जानते हैं क़ब्रों को पलास्टर करने अथवा उसके पास मस्जिद बनाए जाने को।अह़नाफ के नज़दीक मकरूह का इतलाक हुरमत पर होता है।जैसा के यह उनके यहाँ प्रसिद्ध है।

शमशुद्दीन अलअफगा़नी ने अपनी पुस्तक में अध्याय बाँधा है और इसमें अह़नाफ विद्धानों के प्रयासों का उल्लेख किया है कुबुरीया (क़ब्र पूजक) के आस्थाओं को व्यर्थ करने में।फिर कुछ संदेहों का उल्लेख किया है जो इस पर उठते हैं और उसका उत्तर दिया है।

मालिकिया का मज़हब:कुरतुबी ने (الجامع لأحمام القلرآن) **में कहा है क़ब्रों पर मस्जिद बनाना,उसपर नमाज़ पढ़ना और इसके अलावा जो भी इस के अंतर्गत आता है मना है और जाएज़ नहीं है।**

हमारे विद्धानों ने कहा:विद्धानों एवं नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बनाना ह़राम है।अबू मरसद गुनवी से रिवायत है उन्हों ने कहा मैंने नबी को कहते हुए सुना (क़ब्रों पर नमाज़ मत पढ़ो और न हीं उसके पास बैठो) अर्थात क़ब्रों को नमाज़ पढ़ने के लिए क़िबला मत बनाओ जैसे कि

यहूद और ईसाई करते हैं।क्योंकि वह क़ब्रों में पड़े व्यक्ति की इ़बादत की ओर ले जाता है।जैसा कि वह प्रतिमा एवं मूर्ति की इ़बादत का कारण था।

मोह़म्मद अमीन बिन मोह़म्मद अलमुख्तार शंकी़ती ने कहा जो मालकी पंथ के हैं क़ब्रों पर मस्जिद बनाने और क़ब्रों के पास नमाज़ के ह़राम होने में उनके यहां एक विस्तार विषय है जिनको उन्होंने अपनी पुस्तक (أضواء البيان)**में** (ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين) **की व्यखा में उल्लेख किया है।**

शाफई़ का मज़हब: ईमाम शाफई रह़िमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक (الأم) **के अन्दर कहा:मैं नापसंद करता हूँ कि क़ब्रों को मस्जिद बनाया जाए। इमाम नौवी ने कहा: शाफई़ और उनके मानने वालों के नुसूस (प्रमाण) क़ब्र पर मस्जिद के बनाने की कराहत (जिस के छोड़ने वाले को पुण्य दिया जाए और उसके करने वाले को यातना न हो) पर आधारित हैं।**

जलालुद्दीन सुयूती रह़िमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक (الأمر بالإتباع و النهي عن الإبتداع) **में कहा:उसके अलावा जो भी बिदअ़तें हैं जैसे क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ना,उसको मस्जिद बनाना अथवा उस पर मस्जिद बनाना,तो नबी की मुतवातिर (निरंतर) ह़दीसों से इन चीजों की मनाही का बोध होता है और उसके करने वाले पर अभिशाप है।जहाँ तक रही क़ब्र पर**

मस्जिद बनाने और उसके पास दीपक,मोमबत्ती और लैम्प जलाने की, तो ऐसा करने वाले पर अभिशाप है जैसा कि नबी की ह़दीस इस विषय में आई है।

ह़नाबला का मज़हब: इब्ने कुदामा रह़िमहुल्लाह ने कहा: क़ब्रों पर मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है।इसलिए कि नबी ने फरमाया: (यहूद पर अल्लाह की अभिशाप हो उन लोगों ने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया और नबी ने ऐसा करने से डराया है।इसलिए कि क़ब्रों के पास नमाज़ को विशेष करना बुतों के आदर के सामान है उस के लिए सजदा और निकटता के द्वारा और यह बताया जाता है कि बुतों के पूजा का आरंभ और प्रारंभ मुर्दों के सम्मान से हुआ है उनकी तस्वीर बना कर उसे चूम कर और उसके पास नमाज़ पढ़कर।इब्ने तैमिया रह़िमहुल्लाह से पूछा गया:क्या ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना सही़ है जिसमें क़ब्र हो और लोग उस में जमाअ़त और जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जमा होते हों?

तो इब्ने तैमिया ने जवाब दिया:समस्त प्रशंसाएं उल्लाह के लिए हैं। उम्मत की सहमति है कि क़ब्र पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए कि नबी ने फरमाया (तुमसे पूर्व के लोग क़ब्रों की मस्जिद बना लेते थे अत: तुम लोग क़ब्रों को मस्जिद मत बनाओ,नि:संदेह मैं तुम्हें ऐसा करने से मना करता हूँ इसलिए मुर्दों को मस्जिद में दफन करना

जाएज़ नहीं है।यद्यपि मस्जिद को दफन से पहले बदल दिया हो क़ब्रों को बराबर करके अथवा फिर खोद करके अगर वह नई हो।और अगर मस्जिद क़ब्र के बाद बनी हो तो फिर मस्जिद को गिरा दें अथवा क़ब्र को खत्म कर दिया जाए,क़ब्र पर बनाई गई मस्जिद में न फर्ज़ और न नफिल नमाज़ पढ़ी जाएगी।क्योंकि ऐसा करना मना है।

इब्ने तैमिया ने यह भी कहा:क़ब्रों को मस्जिद बनाने की मनाही में,क़ब्रों पर मस्जिद बनाने की मनाही भी शामिल है और इसी प्रकार से उसके निकट नमाज़ के इरादा से भी।यह दोनों विद्धानों की सहमति से मना है। उन्होंने क़ब्रों पर मस्जिद बनाने से मना किया है और इसकी हुरमत को स्पष्ट कर दिया है,जैसा कि इसका प्रमाण है।

इब्ने कैविम ने उस लाभ का उल्लेख किया है जो ज़रार मस्जिद की कहानी से प्राप्त होता है।जिसको मुनाफिक़ों (द्विधावादियों) ने बनाया था।उसमें से एक लाभ यह है कि बेगैर भलाई और निकटता के दान सही नहीं है जैसा कि यह मस्जिद सही नहीं है।क़ब्र पर मस्जिद बनाई गई हो तो मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा जैसा कि मुर्दा को खोद कर निकाला जाता है।जब मस्जिद में दफन कर दिया जाए।इमाम अहमद और उसके अलावा ने इसको स्पष्ट किया है कि इस्लाम धर्म में मस्जिद और क़ब्र एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते।

फिर यदि दोनों को साथ रखा गया तो वह जायज़ नहीं है न ही उस मस्जिद में नमाज़ सही होगी।नबी ने इस से मना किया और क़ब्र को मस्जिद बनाने को अभिशापका कारण और उस पर दिया जलाना सही नहीं है।यही वह इस्लाम धर्म है जिसे अल्लाह ने नबियों और रसूलों को दे कर भेजा।

(زاد المعاد) में भी गज़वा-ए-ताएफ के लाभों का उल्लेख करते हुए कहा: उन में से एक यह है कि शिर्क और तागूत के स्थानों को उसके तोड़ने और खत्म करने की शक्ति रखने के बावजूद बाकी रखना जायज़ नहीं है।नि:संदेह यह कुफ्र और शिर्क का तारीका है।और यह बहुत बड़ा पाप है।शक्ति रखने के बावजूद उसको बाकी रखना जायज़ नहीं है।इसी प्रकार से उन मजाऱों का हुकुम है जो क़ब्रों पर बनाए गए हैं।जिन में मूर्ति और तागूत को बनाया गया है,गैरूल्लाह (अल्लाह के अतिरिक्त) की प्रार्थना के लिए और वह पत्थर जिससे आदर,तबर्रुक और नज़र का इरादा करते हैं,इनमें से किसी को भी उसके खत्म करने की शक्ति रखने के बावजूद इस धरती पर बाकी रखना सही नहीं है।उनमें से अधिकांश लात,उज्जा़ और मनात का स्थान ले लेंगे,यह बहुत बड़ा शिर्क है।

इस चर्चा के पश्चात उ़मर रज़ीअल्लाहु अ़न्हु के शजरे रिजवान काटने के विषय में कहा कि नबी ने मस्जिद-ए-ज़िरार को ध्वस्त करवा दिया।तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि जिससे फसाद पैदा होता है उस को

तोड़ देना है।जैसे क़ब्रों पर मस्जिद बनाना और इस्लाम में उसका हुक्म यह है कि इन सभी को तोड़ दिया जाए यहाँ तक के जमीन के बराबर हो जाए और यह मस्जिद-ए-ज़रार के विधवंस करने से अधिक बेहतर है।

अ़ल्लामा शौकानी ने कहा है कैसे कहा जा सकता है कि मुसलमानों ने ऐसा करने वालों को मना नहीं किया हालाँके वह लोग इससे मना करते रहे हैं और ऐसा करने वालों पर अभिशापभेजा है।हर युग के विद्धान इससे सवैद मना करते रहे और इसे रोकने में अतिशयोक्ति करते रहे हैं।इब्ने क़ैय्यिम ने बयान किया है कि सामान्य मुसलमान ने क़ब्रों पर मस्जिद बनाने की मनाही को स्पष्ट किया हैं फिर कहा:अ़हमद,मालिक,शाफई़ ने भी इसकी हुरमत (अवैधता) को स्पष्ट किया है।एक दल ने कराहत माना है किन्तु उचित है कि इसको तह़रीम (अवैध) की कराहत मानी जाए।

कुछ संदेह और उनके उत्तर

प्रथम संदेहः

मस्जिदे नबवी में नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र होने के कारण बहुत से लोगों ने क़ब्रों पर मस्जिदों के निर्माण की अनुमति दी है।यदि यह ह़राम (निषेध) की होता तो आप सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसमें दफनाये नही जाते।

इस संदेह का उत्तरः

नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं दफनाये गए।बल्कि आप अपने घर आ़यशा रज़ीअल्लाहु अन्हा के कमरें में दफनाये गए।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।यह एक प्रसिद्ध मामला है जिसमें कोई विवाद नहीं मस्जिद उस समय नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर से उस दीवार से अलग थी जिससे नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम निकलते थे और प्रवेश करते थे।नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और सभी सह़ाबा के निधन के पश्चात अठ्ठासी (88) हिजरी में मुसलमानों को मस्जिद का विस्तार करने की अवश्यकता पड़ी और वह वलीद बिन अब्दुल मलिक के उत्तरधिकार में था।उन्होंने रसूलु सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियों के कमरों को रसूलु सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल करने का आदेश दे दिया।इस लिए आ़यशा के घर को पूरी तरह से मस्जिद में सम्मिलित किया गया।अत: नबी सलल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम का कमरा मस्जिद में हो गया।जिस में आप की क़ब्र भी शामिल है।उनके पश्चात के कुछ लोगों का ख्याल हुआ कि रसूलु सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र मस्जिद में शुरू ही से है।किन्तु ध्यान दिया जाना चाहिए कि मस्जिदे नबवी का विस्तार कई बार किया गया है जब मुसलमानों की संख्या बढ़ी उ़मर और उसमान के युग में भी,परंतु उन्होंने कमरों की ओर से विस्तार नहीं किया बल्कि दूसरी ओर से किया।

इसी लिए जब उ़मर बिन ख़त्ताब रज़ीअल्लाहु अ़न्हु ने मस्जिदे नबवी का विस्तार किया तो उन्होंने नबी के कमरा को नहीं छेड़ा जो मस्जिद से जुड़ा है,बल्कि उन्होंने कहा कि उस के लिए कोई रास्ता नहीं है।

अलबानी रह़िमाहुल्लाह ने कहा:इसी लिए हम वलीद बिन अब्दुल मलिक की गलती पर मानते हैं।यदि वह मस्जिद का विस्तार करने के लिए विवश हो गए थे तो वह नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कमरा को छेड़ छाड़ किए बिना अन्य दिशाओं से उसका विस्तार करने में सक्षम थे।

अल्लामा ह़ाफिज़ मोह़म्मद बिन अ़ब्दुल हादी रह़िमहुल्लाह ने (الصارم المنكي) में कहा: हुजरा-ए-नबवी को मस्जिद के अंदर वलीद बिन अ़ब्दुल मलिक के शासन काल में प्रवेश किया गया उस समय मदीना के सभी सह़ाबा का निधन हो चुका था।मदीना में निधन होने वाले अंतिम सह़ाबी

जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह हैं उनका निधन वलीद की शासन काल में हुआ। क्योंकि उनकी मृत्यु 78 हिजरी में हो गई थी।और वलीद ने 88 हिजरी में पद संभाला और 96 हिजरी में उनका निधन हो गया।इसलिए मस्जिदे नबवी का न्या निर्माण और हुजरा-ए-नबवी को उस के अंदर प्रवेश करने की घटना इसके बीच का है।और उन्हों ने यह भी कहाः "सहा़बा के युग में हुजरा मस्जिद से बाहर था और उस से जुड़ा हुआ था,और उसे उसमें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, अ़ब्दुल्लाह बिन जुबेर और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर के निधन के पश्चात बल्कि मदीना में रहने वाले सभी सहा़बा के निधन के पश्चात अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान के शायन काल में प्रवेश किया गया।"

इसी लिए इब्ने कसीर रह़िमहुल्लाह ने (البداية والنهاية) में बयान किया है कि सई़द बिन मुसैयिब जो एक बड़े ताबई़ हैं ने इस बात की निंदा की है कि वलीद बिन अ़ब्दुल मलिक ने आ़यशा रज़ीअल्लाहु अ़न्हा के कमरे को जिस में रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र है को मस्जिद में सम्मिलित किया है और इसी लिए अल्बानी ने टिप्पणी करते हुए कहा: वलीद के बारे में सई़द की निंदा असम्भव नहीं है।क्योंकि वह एक ताबई़ हैं और वह अबूहुरैरा की ह़दीस के रावियों में से एक हैं कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कहा:अल्लाह यहूदियों को नष्ट करे उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया।वलीद (अल्लाह उन्हें क्षमा

करे) ने यह काम लोगों से सलाह लिए बिना किया और उसका काम दलील नहीं है।

और मुसलमानों ने वलीद द्वारा किए गए उल्लंघन को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की है।इस लिए उन्होंने उस घर की दीवार को उठा दिया जो किबले की दिशा में स्थित है ताकि नमाज़ियों के लिए प्रार्थना के कयम में क़ब्र का विचार न आए।इब्ने रजब ने कहा: कुरतुबी रहिमहुल्लाहु तआ़ला ने फरमायाः मुसलमानों ने नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र में तबररूक को रोकने के लिए अतिशयोक्ति किया।उसे आप सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र के साथ घेर दिया फिर उन्हें आप की क़ब्र के स्थान को किबला बनाए जाने का डर हुआ जब वह नमाज़ियों के सामने हो और प्रार्थना के समय में उसकी ओर मुँह करके नमाज़ पढने का कल्पना हो।इस लिए उन्होंने क़ब्र के दो उत्तरी कोनों से दो दिवार बनाई और उन्हें खूब घुमाया यहाँ तक कि वे उत्तर की ओर एक त्रिकोणीय कोने पर मिल गई ताकि कोई उनकी क़ब्र की ओर मुँह न कर सके।इसी कारण आ़यशा ने कहा यदि मजा़र बनाने का डर न होता तो आपकी क़ब्र बाहर रखी जाती।

इस संदेह के उत्तर का सारांश तीन है।

प्रथम: नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मस्जिद में नही दफनाया गया बल्कि आप को उनके कमरे में दफनाया गया।

द्वतीय: सहा़बा ने हुजार-ए-नबवी को मस्जिद में प्रवेश किये जाने का अवलोकन नहीं किया यदि वे होते तो विस्तार कमरों की ओर से नहीं होता खुलफा-ए-राशिदीन के युग में मस्जिद का विस्तार कई बार हुआ है लेकिन विस्तार में हुजरात-ए-नबवी को शामिल नहीं किया गया।

तृतीय: हुजरा-ए-नबवी को मस्जिद में सम्मिलित करना वलीद बिन अ़ब्दुल माकि (अल्लाह उन्हें क्षमा करे) की गलती थी।

चेतावनी: यदि मस्जिद-ए-नबवी के मामलों के जिम्मेदार अब मस्जिद-ए-नबवी की सीमा को पहले की जगह वापस करते हैं तो यह बेहतर और फितना से दूर होगा और यह कमरा की पश्चिमी दीवार को मस्जिद से एक ऐसी दीवार से अलग करना है जो मस्जिद की दक्षिणी दीवार से उत्तर की ओर की दीवार नमाज़ के लिए न मानी की जाए।फिर पूर्व की ओर एक दीवार झुकाई जाए जो मस्जिद की पूर्वी दीवार से जा मिलती हैं।जिसका निर्माण आधुनिक विस्तार में पूरा हुआ जिसे शासक फहद बिन अ़ब्दुल अजी़ज़ रहि़माहुल्लाह ने अंजाम दिया।यदि वे ऐसा किये होते तो यह अच्छा होता और लोगों को नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र के सामने होने से रोक दिया जाता।अल्लाह उन्हें इसकी तौफीक दे, आमीन।

दूसरा संदेहः

उनमें से कुछ ने उस रिवायत के आधार पर क़ब्रों पर मस्जिदों के निर्माण की अनुमति दी है जिसे तबरानी ने रिवायत किया है उन्होंने कहा:हम से अबदान बिन अह़मद ने बयान किया कहा:हम से अबू हम्माम अल-दलाल ने बयान किया।कहा हम से इबराहीम बिन तहमान ने मंसूर के माध्यम से बयान किया वह मुजाहिद से वह इब्ने उ़मर से रिवायत करते हैं कि उन्हों ने कहा सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदे खेफ में सत्तर नबियों की कब्रें हैं और इसे बज्ज़ार ने अबू ह़म्माम से रिवायत किया है।

अ़ल्लामा अल्बानी रह़मतुल्लाह ने इस संदेह का यह उत्तर दिया है कि वह ह़दीस सनद (वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला) के अनुसार ज़ईफ (कमज़ोर) है।इस लिए कि इस सनद में ईसा बिन शाजान है जिसके बारे में इब्न ह़िब्बान ने अस्सेकात में कहा है कि उसकी रिवायात में ग़राबत (कमज़ोर) मानी जाती है।और इसकी सनद में इब्राहीम बिन तहमान है और वह सिकहा (विश्वसनीय) है इसकी रिवायत में भी ग़राबत पाई जाती हैं जैसा कि ह़ाफिज़ इब्न ह़जर और अल्बरनी ने कहा मुझे संदेह है कि ह़दीस में किसी रावी की ओर से तह़रीफ (छेड़ छाड़) हो गई हो और इसने सलात (नमाज़) के बदले क़ब्र कह दिया हो।क्योंकि ह़दीस का यह दूसरा शब्द प्रसिद्ध है तबरानी ने अल-कबीर में सिकह रिजाल की सनद (वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला) से सईद बिन जुबेर इब्न अ़ब्बास के संदर्भ से रिवायत मरफूअ़न रिवायत किया है कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने फरमाया: “मस्जिद अल खेफ में सत्तर नबियों ने नमाज़ पढ़ी है" और अल मुनज़िरी ने कहा:उसे तबरानी ने अल अवसत में रिवायत किया है और उसकी सनद ह़सन है और मेरे नज़दीक इसके ह़सन ह़दीस होने में कोई संदेह नहीं।

सारांश यह कि मस्जिदे ख़ेफ जो मिना में है उसमें सत्तर नबियों ने नमाज़ पढ़ी और उसमें सत्तर नबियों को दफनाया नहीं गया और इससे संदेह समाप्त हो जाएगा।

तीसरा संदेहः

उनमें से कुछ लोगों ने उस रिवायत के आधार पर क़ब्रों पर मस्दिजों के निर्माण की अनुमति का प्रमाण निकाला है जिसे दारे कुतनी ने इब्न अ़ब्बास रज़ीअल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है उन्होंने कहा जिबरील अलेहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज़-ए-जनाजा़ पढ़ाई तो चार तकबीर कही जिबरील ने उसी दिन फरिशतों को नमाज़ पढ़ाई आदम अलैहिस्सलाम को मस्जिद ख़ेफ में क़िबला की ओर दफन किया गया उनकी लह़द बनाई गई और उनकी क़ब्र को कुहान जैसा बनाया गया।

इसका उत्तर पुस्तक के शोधकर्ता ने दिया है:

"उसकी सनद बहुत ही ज़ई़फ (कमजोर) है।मैंने कहा अ़ब्दुर रह़मान बिन मगूल अबू दाद ने कहा वह ह़दीस बनाता था और बुखा़री ने कहा:उसकी

ह़दीस कुछ भी नहीं है और अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन हुरमुज़ ज़ईफ है जैसा कि अल-तकरीब में है।

चौथा संदेहः

कुछ लोगों ने उस रिवायात के आधार पर क़ब्रों पर मस्जिद के निर्माण का प्रामाण लिया है जिसे हा़किम ने अल-कुना (الكنى) में क़ब्रों पर निर्माण की गई मस्जिदों में नमाज़ की अनुमति देते हुए आ़इशा से मुरफुअ़न रिवायत की है इस्माई़ल की क़ब्र हिजर स्थान में है।

इस संदेह का उत्तर यह है कि इस ह़दीस को विद्धानों जैसे सखवी ने "अल-मकासेदुल ह़सना" में और अल-अजलूनी ने कशफुल खेफा में ज़ईफ करार दिया है और उन्हों ने कहाःइसे दैलमी ने आ़यशा से ज़ई़फ सनद के साथ मरफुअ़न रिवायत किया है और इसी प्रकार अल्बानी ने तहजीरूस्साजिद में इसे ज़ईफ करार दिया है।

और अल्बानी रह़िमहुल्लाह ने कहा:किसी मरफू ह़दीस से सिद्ध नहीं कि इस्माई़ल अथवा किसी भी अन्य नबियों को मस्जिद-ए-ह़राम में दफन किया गया हो।ह़दीस की प्रमाणित किताबों जैसे सिहा-ए-सित्ता,मुसनद अह़मद मआजिमें तबरानी इत्यादि प्रसिद्ध ह़दीस की पुस्तक में से किसी में उसके संबंध में कोई ह़दीस नहीं आई है।यह कुछ शोधकर्ताओं के निकट किसी भी ह़दीस के ज़ईफ बल्कि मनघड़त होने का एक बड़ा प्रमाण है इस विषय में जो भी आसार रिवायत की गई है जिन्हें अरज़की

ने अख़बारे मक्का में रिवायत किया है वह सब मोकूफ और वाही सनदों से मरवी हैं पिछली ह़दीस को विद्धानों के समूह ने ज़ईफ करार दिया है। विस्तार के लिए मोसाअतुल आह़ादीस वल आसार अल ज़ई़फा वल मोज़ुआ़ को देखें।

पाँचवा संदेहः

उनमें से कुछ लोग उस चीज़ से प्रमाण पकड़ते हैं जो अबू जंदल रज़ीअल्लाहु अ़न्हु की इस रिवायत में आई हुई है जिसे इब्ने अ़ब्दुल बर रह़िमाहुल्लाह ने अल-इस्तीआब में मूसा बिन उ़क़बा की रिवायत से बयान किया है कि जब अबू बुसैर रज़ीअल्लाहु अ़न्हु का निधन हो गया तो अबू जंदल ने उन्हें दफनाया ओर उनकी क़ब्र पर एक मस्जिद का निर्माण किया।

इस संदेह का उत्तर कई वजहों से:

प्रथम: इस घटने की सनद जईफ है घटने के रावी मूसा बिन उ़क़बा को किसी सहाबी से समाअ़त (सुनन) प्राप्त नहीं है।न ही अबू बुसैर से और न ही उनके अलावा से क्योंकि सिरे से किसी सहा़बी को नहीं पाया है इसलिए घटने की सनद मजहूल (अज्ञात) है।

द्वतीय: यह रिवायत उन रिवायतों के विरूद्ध है जो इस से अधिक सही है।इमाम बुखा़री ने अबू जंदल की कहानी को अबू बसीर के साथ

अब्दुर्रज्जाक़ के माध्यम से मामर से मौसूलन रिवायत किया है उन्हों ने कहा:ज़ुबैर के बेटे ने मिस्वर बिन मख़रमा और मरवान के संदर्भ से मुझे इसकी सूचना दी इस वृद्धि के बिना अर्थात और उसने उसकी क़ब्र पर एक मस्जिद का निर्माण किया।

और इसी प्रकार इब्न इस्हाक़ ने अल सीरत में ज़ोहरी से मुरसलन रिवायत किया है और अहमद ने इसे मामर के जैसे इब्ने इस्हाक़ के संदर्भ से ज़ोहरी से उर्वा से रिवायत किया है और उसमें यह वृद्धि नहीं है।

और इसी प्रकार से इब्न जरीर अलतारीख़ में मामर और इब्न इस्हाक़ आदि के माध्यम से ज़ोहरी से रिवायत किया है इस वृद्धि के बिना।

इससे मालूम होता है कि यह इजाफा मुनकर है इसकी सनद मनघड़त है और सिकात ने इसे रिवायत नहीं किया है।

छटा संदेह:

कुछ लोगों ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा रज़ीअल्लाहु अन्हा के कमरे में दफन किये जाने से क़ब्रों पर निमार्ण की अनुमति दी है।

इसका उत्तर दो प्रकार से है:

प्रथम:

संक्षिप्त उत्तर है कि अल्लाह की शरीअ़त में विरोधाभास नहीं है यह असंभव है कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किसी कार्य से रोका हो फिर उनके निधन के पश्चात उनके सहा़बा इस पर सर्वसम्मति से सहमत हो कर करते हैं।

द्वतीय:

विस्तृत्र उत्तर यह कि सहा़बा ने नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उनका सम्मान करने के इरादे से आ़यशा के कमरे में नहीं दफनाया बल्कि दो कारणों से:

प्रथम: आपकी क़ब्र लोगों से दूर की गाई ताकि उनके सम्मान में अतिशयुक्ति न हो और इसके प्रमाणों का ब्यान गुजर चुका है।

द्वतीय: अल्लाह ने अपने नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और अपने सभी नबियों की मृत्यु वहीं की जहाँ दफन किये जाते हैं और आपकी मृत्यु का स्थान आ़यशा रज़ीअल्लाहु अ़न्हा का कमरा है।और इसका प्रमाण आ़यशा रज़ीअल्लाहु अ़न्हा की ह़दीस है उन्होंने कहा: जब सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आत्मा निकाल ली गई तो आप की तदफीन के विषय में सह़ाबा ने मतभेद हुआ तो अबू बकर रज़ीअल्लाहु अ़ंहु ने कहा मैं ने आप सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऐसी बात सुनी है जिसे मैंने भुला नहीं,आप ने फरमायाः अल्लाह ने हर नबी को वहीं मौत

दी जहाँ दफन किया जाना पसन्द किया।आप को आप के बिस्तर के स्थान पर दफन कर दो।

यदि कहा जाए तो क्या सभी लोगों को घरों में दफनाने की अनुमति देना जाईज़ है?

उत्तर: इब्न कोदामा रहमतुल्लाह ने कहा:अबू अब्दुल्लाह (ईमाम अहमद) घरों में दफन किये जाने से मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किये जाने को अधिक पसंद करते थे।क्योंकि यह उस के जीवित अश्रितों के लिए कम हानिकारक है।आखिरत के श्रेणियों की वृद्धि के लिए अधिक दुआ मुनासिब है करना और उस पर अल्लाह से कृपा की विनती करना जरूरी है।और सहाबा,ताबईन और उनके पश्चात वाले सहरा में दफन हैं। जो लोग क़ब्रों पर भवनों का निर्माण करते हैं वे इसके क़ब्र वाले का आदर चाहते हैं न कि उसके सम्मान से लोगों को दूर रखना चाहते हैं दोनों का कारण विभिन्न है और इस प्रकार से इस से संदेह खत्म हो जाता है।

सातवां संदेह:

कुछ ने क़ब्रों पर गुंबदों के निर्माण के जाईज़ होने की बात की है यह प्रमाण देते हुए कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र पर अब भी गुंबद है?

इस संदेह का उत्तर सनआ़नी रह़िमाहुल्लाह ने अपनी पुस्तक (تطهير الاعتقاد عن أدران الشرك والإلحاد) **में इस प्रकार से दिया है।**

"यह वास्तव में एक बड़ी अज्ञानता है क्योंकि गुंबद का निर्माण न तो नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम,ने न सह़ाबा ने,न ताबई़न ने,न तबताबेई़न ने,न उम्मत के विद्धानों ने और न ही मिल्लत के विद्धानों ने किया है कि बल्कि आप सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र पर निर्मित गुंबद को एक दिवंगत राजा कलावुन अल-सालही जो मंसुर के नाम से प्रसिद्ध है 678 हिजरी में बनाया है उन्हों ने इसका उल्लेख (تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة) **में किया हैं यह सरकारी मामला हैं न कि धार्मिक।**

मुकयइद (अल्लाह उन्हें क्षमा करे) ने कहा सुडान के एक प्रश्नकर्तों ने सऊदी अ़रब की फतवा समिति शिक्षात्मक शोध एवं इफता हेतु से पूछा: "मेरे सूडान में कुछ सूफी लोग हैं जो नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र पर निर्मित गुंबद के कारण क़ब्रों पर गुंबदों के निर्माण का प्रमाण लेते हैं इस संबंध में इस्लाम का किया आदेश है?तो फतवा समिति ने यह उत्तर दिया।"नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र पर गुंबद का निर्माण उन लोगों के लिए प्रमाण नहीं है जो इसके द्वारा वलियों और बुज़ुर्गों की क़ब्रों पर गुबंदों के निर्माण करने का बहाना बनाते है।क्योंकि यह आपकी वसीयत से है न आप के सह़ाबा रज़ीअल्लाहु अन्हुम के

व्यवहार,न ताबईन के व्यवहार और न ही उन प्रथम शताब्दियों के मार्गदर्शन के इमामों से किसी का अ़मल है।

जिसकी अच्छाई की गवाही नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दी है। बल्कि वह अहले बिदअ़त का अ़मल है और नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सिद्ध है उन्होंने कहा:"जिसने हमारे इस धर्म में कोई अविषकार किया जो उसमें नहीं है वह मरदूद हैं" और अ़ली रज़ीअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अबू हय्याज़ से कहा क्या मैं तुम को इस काम के लिए न भेजूं जिस पर मुझ को सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भेजा था वह यह कि तुम कोई चित्र न छोड़ो मगर उसे मिटा दो और न कोई ऊँची क़ब्र मगर उसको बराबर कर दो।इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

अत: जब आप सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से आप की क़ब्र पर गुंबद का निर्माण सिद्ध नहीं है और न ही यह उलमा-ए-खैर से सिद्ध है बल्कि आप से वह चीज़ सिद्ध है जो इसे नापसंद बनाते हैं।किसी भी मुसलमान को उस चीज़ से संबंध नहीं रखना है जिसे बिदअ़तियों ने अविष्कार किया हो जैसे नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र पर गुंबद का निर्माण।

फतवा समिति शिक्षात्मक शोध एवं इफता हेतु

अध्यक्ष **उपाध्यक्ष**

अब्दुल अ़जीज़ **अ़ब्दुर्ररज़्ज़ाक**

सदस्य **सदस्य**

अ़ब्दुल्लाह बिन ग़दयान **अ़ब्दुल्लाह बिन कुऊद**

क़ब्रों पर भवन एवं गुंबद आदि बनाने का हुक्म

कुछ मुसिलम देशों में यह देखने को मिलता है कि लोग क़ब्रों पर ईंट, संगमरमर और सीमेंट आदि से पुख्ता भवन बनाते है।क़ब्र को चूना करते।भवन क़ब्र के बाहर से होती है अथवा क़ब्र के उपर गुबंद अथवा कमरा बना होता हैं शरीअ़त में ऐसा करना ह़राम है।

निम्नांकित कारणों से:

प्रथमः मुर्दे को दफनाने के संबंध में यह नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत एवं तरीके के विरूध है।

द्वीतीय: क़ब्र पर भवन निर्माण मुर्दे के सम्मान और उसके प्रति अतिशयोक्ति का कारण बन सकता है।क्योंकि जब कोई क़ब्र पर भव्य भवन देखता है तो उसके मन को प्रभावित करता है फिर उसका दिल उस क़ब्र में लेटे मुर्दे से लग जाता है और वह उससे अपनी आवश्यकताएं संबंधित कर लेता है जैसा कि कुछ मुस्लिम देशो में होता है।

तृतीयः क़ब्र पर भवन बनाने से ज़मीन दूसरे मुर्दों के लिए कम हो जायगी और बाद में मरने वालो को दफन करने में परेशानी होगी।

चौथा: लोगों के प्रत्येक क़ब्र मुर्दों के भवन से भर जायगा।

पांचवां: क़ब्रों को पुख्ता करना और उसे सुन्दर एवं भव्य बनाना दुनिया से संबंधित है जबिक मुर्दा आखिरत की मंजिल में होता है।

क़ब्रों पर भवन निर्माण निषिद्ध होने की प्रमाण।

नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सहा़बा और ताबेई़न से ढ़ेर सारी ह़दीसें एवं आसार वर्णित हैं जिन से ज्ञात होता है कि क़ब्रों पर भवन निर्माण ह़राम है।

जाबिर रज़ीअल्लाहु अ़ंहु से रिवायत है कि रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र को पुख्ता करने,चुना करने उस पर बैठने और उस पर भवन निर्माण से मना फरमाया है (मुस्लिम:970)

उम्मे सलमा रज़ीअल्लाहु अंहा कहती हैं कि रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र को चूना करने और उस पर भवन निर्माण से मना फरमाया है।

(رواه احمد ٦/٢٩٩، وقال محقق المسند: صحيح لغيره ١٧٩\٤٤ **)**

अबू सई़द खुदरी रज़ीअल्लाहु अ़ंहु से रिवायत है कि रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र पर भवन बनाने,उस पर बैठने ओर उसकी ओर नमाज़ से मना फरमाया।

(رواه ابو يعلى فى المسند (١٠٢٠) و وصحح الالبانى اسناده في تحذير الساجد ص:٢٢ **)**

नोमान बिन अबी शैबा कहते हैं कि मेरे एक चाचा "जनद" में मर गये मैं अपने पिता के साथ इब्ने ताऊस के पास गया।मेरे पिता ने पूछा ऐ अबू अ़ब्दुर्रह़मान क्या मैं अपने भाई की क़ब्र को पुख्ता करूँ?तो वह हंस

पड़े और कहा:ऐ अबू शैबा! बेहतर है कि तुम अपने भाई की क़ब्र न पहचानो मगर यह कि तुम उसके लिए क्षमा की दुआ करो।क्या तुम्हे नहीं मालूम कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र पर भवन बनाने,उसे पुख्ता करने और उस पर कुछ बोने से मना फरमाया है।इसलिए सबसे उत्तम क़ब्र वह है जिसको ने पहचान सको। (मुसन्नफ अ़ब्दुर रज्जाक़ः6495)

जब अबू मूसा की मृत्यु का समय आया तो उन्हों ने फरमाया: जब तुम लोग मेरे शव लेकर चलना तो तेज़ चलना मेरे शव के पीछे बर्तन में आग नहीं ले जाना मेरी क़ब्र में कुछ ऐसा नही रखना जो मेरे और मिट्टी के बीच रूकावट बने।मेरी क़ब्र पे भवन न बनाना।मैं तुम को गवाह बनाता हूँ कि मैं अपनी मृत्यु पर सिर मुंडाने वाली,वस्त्र फाड़ने वाली और चिल्लाने वालियों से मुक्त हूँ।लोगों ने पूछा क्या इस संबंध में आप ने नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कुछ सुना है?फरमाया हाँ मैं ने रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है।

(رواه احمد ١٣٩٧٠٠ و قال الألباني في تحذري الساجد ٠١٢ اسناده قوي)

अबू सईद खुदरी रज़ीअल्लाहु अ़ंहु से रिवायत है कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र पर भवन बनाने से मना फरमाया।

(رواه إبن ماجه ١٠٦٤ وصححه الألباني)

इमाम मालिक कहते हैं: मदीना में लगभग दस हजार सह़ाबा का निधन हुआ।शेष सहाबा दुनिया भर में फैल गये लेकिन मदीना में मरने वाले सहा़बियों में से अधिकांश की क़ब्र अज्ञात है।

क़ब्र पर बने मस्जिदों के विरुध मुसलमानों की दायित्व

पिछली बातों से यह स्पष्ट होगया कि क़ब्रों को सज्दागाह बनाना ह़राम और बूरी बात है।और जो मुन्करात (निषेधों) में से हो तो शक्ति अनुसार मिटाना मुसलमानों पर अनिवार्य है चाहे शासक हो या प्रजा जैसा कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फरमान है"तुम में से जो व्यक्ति कोई बूरी बात अथवा कार्य देखे उसे चाहिए कि उसे हाथ से रोके यदि नहीं रोक सके तो जुबान से रोके यदि यह भी न हो सके तो दिल से बुरा माने और यह सबसे कमतर दर्जे का ईमान है"(मुस्लिम:49)

यदि मस्जिद क़ब्र के पहले से हो तो क़ब्र खोद कर शव को निकालना और कब्रिस्तान में दफन करना जरूरी है इस प्रकार से मस्जिद सुरक्षित हो सकती है।

अगर क़ब्र मस्जिद से पहले से हो फिर उस पर मस्जिद बनाई गई हो तो मस्जिद को तोड़ना अनिवार्य है क्योंकि तक़वे की आधार पर निर्माण नहीं कि गई है और न ही अल्लाह का सम्मान उद्देश्य है बल्के उसका उद्देश्य शव का सम्मान है,तो उसका तोड़ना अनिवार्य है इस लिए कि हर वह मकान जो गैरुल्लाह के लिये बनाया गया हो उस का तोड़ना जाईज़ है।यही कारण है कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुनाफिको़ (द्विधावादियों) की बनाई हुई मस्जिदे जैरार को तोड़ा क्योंकि वह तक़वे के आधार पर नहीं बनाई थी।

अल्लाह तआ़ला ने क़ब्र के द्वारा मस्जिद बनाना जाएज़ नहीं किया है और न ही मस्जिद के द्वारा क़ब्र बनाना जाएज़ किया है,हर चीज़ को इस की शरई़ कारण की ओर लोटाना वाजिब है।

क़ब्र को सजदा करने का स्थान बनाने अथवा क़ब्र पर मस्जिद निर्माण करने से अनेक खराबीयाँ पैदा होती हैं जिन में कुछ निम्नांकित हैं।

(1) क़ब्र पर बनी हुई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले के लिए शैतान शव से दुआ़ करने और उससे सहायता मांगने और उसके लिए नमाज़ पढ़ने को सुन्दर बना करके प्रस्तुत करता है,यही तो सबसे बड़ा शिर्क है।

(2) ऐसी मस्जिदें जहाँ मुर्दे दफन होते हैं।इबादत की फजी़लत के विश्वास को संवार के पेश करता है।हालाँकि यह आस्था (विश्वास) सही नहीं है।इसलिए के पुण्य के अनुसार से समस्त मस्जिदें एम समान हैं,सेवाए मस्जिदे ह़राम,मस्जिद नबवी और मस्जिदे अक़सा के,तो जो कोई इन स्थानों के अलावा में नमाज़ पढ़ने के अधिक पुण्य का दावा करता है तो वह झूठा है।और अल्लाह और उसके रसूल पर लांछन लगाता है।

(3) क़ब्रों को मस्जिद बनाने में उस नीति की परिवर्तन करना है जिस कारण से मस्जिद के निर्माण को मशरू की गई है।उदाहरण स्वरूप नमाज़ पढ़ने एवं इबादत करने को उसमें शव को दफन करने से बदल दिया गया है।

(4) क़ब्रों को सजदागाह (सजदा करने का स्थान) बनाने का कारण शव का आदर है न कि अल्लाह की सम्मान,इसमें भी वही अंतर है,अल्लाह के सम्मान को मुर्दे की सम्मान से बदल देना।

(5) क़ब्रों को मस्जिद बनाने से वहाँ पर नमाज़ पढ़ना व्यर्थ होने का कारण है इस प्रकार से मनुष्य का अ़मल व्यर्थ होजाता है।

(6) क़ब्रों को मस्जिद बनाने में यहूदी एवं ईसाई से एकरूपता होती है और यह स्वयं में ह़राम है।उनका विरोध करना एवं अनुसरण न करना वाजिब है।इन्हीं खराबीयों के काणर शरीअ़त ने क़ब्रों को सजदगाह बनाने को ह़राम किया है।कबरिस्तान और मस्जिद को अलग अलग बनाना वाजिब है इस लिए कि अल्लाह ने मुर्दा दफन करने के लिए मस्जिद बनाना मशरू नहीं किया है और न नमाज़ पढने के लिए कबरिस्तान को मशरू किया है,बल्कि अल्लाह ने दफन करने के लिए कब्रिस्तान मशरू किया है।

क़ब्र की मिट्टी के बुलंद करना

क़ब्र की सतह को बुलंद करना अधिक मिट्टी डाल कर मना है।सेवाए एक बालिश्त (हात) के ताकि समझ में आए के वह क़ब्र हैं और क़ब्र का अपमान न हो उस पर बैठ कर अथवा चल कर।मनाही का कारण यह है कि क़ब्र की सतह को ऊंचा करने में क़ब्र वाले का सम्मान होती है।क़ब्र की ज़मीन को बराबर रखना सेवाए एक बालिश्त के वाजिब है।क़ब्र की मिट्टी को ऊंची करने की मनाही के विषय में कुछ ह़दसें एवं आसार आए हैं उन में से एक यह की जब अमीरूल मोमेनीन ह़ज़रत अ़ली रज़ीअल्लाहु अंहु खलीफा हुए तो क़ब्र पर बने हुए भवन को तोड़ने के लिए अबुल हय्याज असदी पुलिस कमांडर को भेजा।अबुल हय्याज असदी से रवायत है कहते हैं कि उन से हज़रत अ़ली ने कहा कि"क्या मैं तुम्हे उस काम के लिए न भेजूं जिस पर अल्लाह के रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था कि तुम किसी मूर्ति को न छोड़ों मगर उसे ध्वस्त कर दो और न ऊंची क़ब्र को मगर उसे बराबर कर दो।"मुस्लिम (969)

गौर किजिए कि नबी ने मूर्ति को ध्वस्त करने और ऊंची क़ब्र को बराबर करने को यमान बताया है क्योंकि दोनों के द्वारा गैरुल्लाह की इबादत उद्देश्य होती है। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

और जाबिर रज़ीअल्लाहु अंहु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र पर निर्माण किए जाने अथवा उस पर वृद्धि किए जाने अथवा पुखता किए जाने से मना किया।सुलैमान बिन मूसा ने वृद्धि किया है अथवा उस पर लिखे जाने से (अबु दाऊद:3226 व निसाई:2026 यह शब्द उसी का है।) और अलबानी ने उसे सही़ करार दिया है।)

और सोमामा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया के हम लोग रूम में "रौदस" (रौदस बहरे शाम के बीच में इसकन्दरया की ओर एक द्विप है जिसे मुसलमानों 53 हिजरी में विजय किया।(मोजमुल बुलदान) में फुजाला बिन अ़ोबैद के साथ यह हमारे किसी साथी का निधन हो गया फुजाला बिन अ़ोबैद ने उस की क़ब्र को बराबर करने का हुक्म दिया। फिर कहा मैंने अल्लाह के रसूल को क़ब्र बराबर करने का हुक्म देते हुए सुना है।(मुस्लिम:968)

अ़ब्दुल्लाह बिन शरहबील बिन ह़सना से मरवी है कि ह़ज़रत उस्मान निकले और क़ब्र को बराबर करने का हुकम दिया तो क़ब्र बराबर कर दी गई सेवाए उस्मान की बेटी उम्मे अमर की क़ब्र की तो कहा यह कैसी क़ब्र है?तो लोगों ने कहा उम्मे अमर की क़ब्र है तो उसके बारे में भी हुक्म दिया वह भी बराबर कर दी गई।(इब्ने अबी शैबा"अल-मुसन्नफ" (11795) व अलबानी "फी तहजीरू साजिद":88)

और इब्ने अबी शैबा इब्ने अ़ब्बास के दास से रिवायत करते हैं कहा के मुझ से इब्ने अ़ब्बास ने रिवायत कि जब लोगों को देखो शव को दफन करते हुए और वह चीज़ पैदा करते हुए जो मुसलमानों की क़ब्र में नहीं होती है तो उसे भी मुसलमानों की क़ब्र के जैसा बराबर कर दो।(अल-मुनसन्नफ:11796) और मोआ़विया रज़ीअल्लाहु अ़ंहु कहते हैं: नि:संदेह क़ब्र को बराबर रखना सुन्नत है।यहूद व ईसाई ने क़ब्रों को ऊंची किया अत: तुम लोग उस की एकरूपता न अपनाओ।(अत्तबरानी फी अल-कबीर (352/19)

और शाफई रह़मतुल्लाह ने फरमाया पसंद करता हूँ की क़ब्र पर उसकी मिट्टी से अधिक न डाला जाए।हाँ जमीन से एक बालिश्त ऊंची की जा सकती है। **(**الأم كتاب الجنائز باب مايكون بعد الدفن)

जैसा के गुजरा क़ब्र पर कोहान जैसा बनाना क़ब्र को ऊंची करने की मनाही से अलग है एक बालिश्त के बराबर कुहान जैसी ऊंची करना है ताकि क़ब्र पहचानी जा सके।और उस पर न बैठा जाए और न ही चला जाए और ना दुसरी बार खोदी जाए।

कुरतुबी फरमाते हैं:क़ब्र में कुहान जैसा बनाना एक बालिश्त ऊंची करना ऊँट के कुहान से लिया गया है।("अल-जामे ले अह़कामिल कुरआन" कुरतुबी की तफसीर सूरह कहफ आयत संख्या:21)

और कुहान जैसा क़ब्र पर बनाने के विषय में सलफे सालेहीन से कुछ आसार वर्णित हैं।बुखा़री रहि़महुल्लाह सुफयान तम्मार से रिवायत करते हैं उन्होंने फरमाया कि मैं उस घर मैंने प्रवेश किया जिसमें नबी की क़ब्र है तो मैंने नवी की क़ब्र,अबु बकर और उ़मर की क़ब्रों को कुहान जैसा देखा।(सहीह बोखारी:1390)

और इब्ने अबी शैबा शोअबी से रिवायत करते हैं कि मैंने उहुद के शहीदों की कब्रें एक ही स्थान पर कुहान जैसी देखी है।("मोसन्नफ अबी शैबा: 11735)

इब्ने अबो शैब अबु मैमूना से रिवायत करते हैं कि इ़मरान बिन हुसैन ने वसीयत की थी कि लोग उनकी क़ब्र को ऊंची बनाएं और चार उंगली अथवा वैसा ही"(मोसन्नफ अबी शैबा:11746)

और शाफई़ रहि़महुल्लाह फरमाते हैं कि"मैं नापसंद करता हूँ की क़ब्र को ऊंची किया जाए उससे अधिक जेतना ऊंची करना प्रसिद्ध हैं ताकि क़ब्र को रौंदा न जाए और न उस पर बैठा जाए।"(सोनने तिरमीजी़:367/3)

इब्ने कोदामा रहि़महुल्लाह कहते हैं कि थोड़ी ऊंची करना ही मुस्तहब है अ़ली रज़ीअल्लाहु अ़ंहु से नबी के फरमान के कारण कि किसी भी मूर्ति को बिना ध्वस्त किए न छोड़ो और ऊंची क़ब्र को बरारब किए बिना मत छोड़ो।(मुस्लिम)

फिर कहा:क़ब्र को कुहान जैसा बनाना अफज़ल है बराबर रखने से।इसी के पक्ष में हैं इमाम मालिक,इमाम अबू हनीफा और इमाम सौरी (अल मुग़नी किताबुल जनाइज़:435-437/3)

तो यदि कहा जाए कि क़ब्र के अन्दर क्या मशरू है?तो उत्तर है कच्ची ईंट की तखतियों से मुर्दे को ढांपना फिर उस पर मिट्टी डालना फिर थोड़ी ऊँची करना ताकि पहचान में आए कि वह क़ब्र है।(विस्तार के लिए देखें:केताबुल जनाईज़ शैख़ अलबानी)

रही बात मिट्टी से लीपने की जो मिट्टी से ढ़कना अथवा दफन के पश्चात उस पर जल छिड़कना तो यह क़ब्र को ऊंची करने में दाखिल नहीं है।इब्ने अबी शैबा ने ह़सन बसरी की सनद से रिवायत किया है कि वह क़ब्र पर जल छिड़कने में कोई हर्ज नहीं मानते हैं।(अल-मोसन्नफ: 12055)

और उन्हीं की सनद (वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला) से अबू जाफर से रिवायत करते हैं कि क़ब्र पर पानी छिड़कने में कोई हर्ज नहीं हैं(अल-मुसन्नफ:12056)

तिरमिज़ी रह़िमहुल्लाह फरमाते हैं कुछ विद्धानों ने क़ब्र को लीपने की अनुमति दी है जिसमें से ह़सन बसरी हैं।और शाफई रह़िमहुल्लाह कहते हैं कि क़ब्र को लीपने में कोई हर्ज नहीं है।

क़ब्र पर दिया जलाने का हुक्म

क़ब्रों के सम्मान के रूपों में से एक दिया जलाना है।और जो लोग क़ब्र पर दिया जलाते हैं उससे मुर्दे का सम्मान उद्देश्य होता है।ताकि उन की क़ब्र पर अंधेरा न हो और यह पाप है।नबी और उनके सहाबा मृत्यु पा चुके हैं उन्में से किसी ने वसीयत नहीं की कि उन की क़ब्र पर रौशनी की जाए हालाँकी वह लोग इस के अधिक पात्र होते हैं।निःसंदेह क़ब्र पर दिया जलाना बिना लाभ के धन खर्च करना है और नबी ने धन बरबाद करने से रोका है।इब्ने कोदामा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं:क़ब्र पर दिया जलाना जाईज़ नहीं क्योंकी उसमें कोई लाभ नहीं है।धन की बरबादी है।क़ब्र के सम्मान में वृद्धि बुतों के सम्मान के अधिक समान है (अल-मुगनी (440-441/1)

इब्ने हजर हैसमी ने क़ब्र पर दिया जलाने को बड़े पापों में माना है। अपनी पुस्तक (الزواجر عن اقتراف الكبائر) **के में कहा है कि:**

" 121वाँ 122वाँ 123वाँ बड़े पाप हैं:

क़ब्र पर मस्जिद बनाना,क़ब्र पर दिया जलाना और महिलाओं का वहाँ जाना और महिलाओं का जनाज़े के पीछे चलना।"

लाभ:

प्रथम चेतावनी गुजर चुकी है कि अल्लाह के रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र की जियारत/दर्शन करने वाली औरतों और उस पर मस्जिद बनाने वालों और दिया जलाने वालों पर अभिशाप भेजी है। (रवाहो अबु दाऊद (3236) व तिर्मीज़ी (320) व नसाई (2042) व अ़हमद (229/1) अन इब्ने अब्बास रज़ीअल्लाहु अ़ंहुमा) ह़दीस सही़ लिगैरेही है जैसा कि अ़ल्लामा अल्बानी ने "सिलसिलतुल अहा़दीस ज़ई़फा" में सिद्ध किया है संख्या 525-225 में।शब्द "अल-सुरूज" के विषय में बयान किया है कि यह वृद्धि ज़ई़फ है और जिन लोगों ने "सुरूज" की वृद्धि को ज़ई़फ कहा है उन में शैख मुकबिल बिन हादी भी हैं।

ह़दीस (لعن المتخذين السراج علي القبور) **ज़ई़फ है इस लिए के उस की सनद में अबु सालेह़ उम्मेहानी का दास है।उसका नाम बाजाम या बाजान है और वह ज़ई़फ है।**

किन्तु क़ब्र पर दिया जलाना बिदअ़त है।इस लिए के रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के युग में ऐसा नहीं था।

यदि कहा जाए कि क्या हुक्म है जब रात में दफन के लिए रास्ता देखने के लिए तदफीन की जगह देखने के लिए चराग या रौशनी का प्रबंध करना कैसा है?

तो उत्तर होगा कि ऐसी स्थिति में कोई हरज नहीं है।इस प्रकार से कि शव की तदफीन करने वाले अपने साथ चाराग ले जाएं।फिर अपने साथ वापस लायें।देखीए "अल-कौ़लुल मुफीद अ़ला किताब अल-तौहीद" (429/1,शैख मोह़म्मद बिन अ़ोसैमीन,प्रकाशक:दारे इब्ने जौजी़,दमाम)

क़ब्रों के सम्मान से संबंधित कुछ और बातें

उदाहरण स्वरूप क़ब्र के उपर पर्दा लटकाना और उसके फर्श को संगमरमर और कालीन से सजाना और क़ब्र को विशेष कपड़े पहनाना और उस पर सुगंध छिड़कना और सेवक और विशेष पहरेदार बैठाना अथवा ऐसी खिड़की बनाना जिससे लोग क़ब्र को देखें यह समस्त चीजें अल्लाह तआ़ल के धर्म में अविष्कार बिदअ़त है जिस पर न अल्लाह की पुस्तक में और न ही सुन्नते नबवी में इस पर उभारा गया है।शैख अ़ली बिन मोह़म्मद सई़द सुवैदी शाफई़ रह़िमहुल्ला अपनी पुस्तक العقد (الثمين في بيان مسائل الدين) **में उन लोगों की आलोचना करते हुए कहा है जो क़ब्र पे खुराफात करते हैं: आप उन लोगों को देखते हैं कि क़ब्र को ऊँची करते हैं और उस पर कुर्आनी आयतें लिखते हैं और उसके लिए चंदन और खुशबुदार लकड़ी का ताबूत बनाते हैं और उस पर सुद्ध सोने और चाँदी से मुनक्कश/परिरूप रेशम के पदों को डालते हैं और इतना ही पर प्रसन्न नहीं होते यहाँ तक कि उसके चारों ओर रौशनदान आदि बनाते हैं और उस पर सोने के दिये लटकाते हैं और उस पर सोने अथवा मुनक्कश शीशे के गुंबद बनाते हैं और उनके दरवाजे को सजाते हैं और उसके लिए चाँदी आदि के ताले लगाते हैं।यह समस्त चीज़ें रसूल के धर्म के विरूध हैं और अल्लाह और उसके रसूल से प्रत्येक्ष लड़ाई है।यदि वह वास्तव में नबी के अनुयायी हैं,तो नबी को देखें कि वह अपने सह़ाबा के साथ क्या करते थे और आप की क़ब्र को देखें के सह़ाबा ने क्या किया।**

शैख़ हुसैन बिन मोहम्मद अल-मगरिबी रहिमहुल्लाह अपनी पुस्तक البدر (التمام شرح بلوغ المرام) **में कहते हैं कि इन समस्त स्थितियों में अभिशाप और मूर्ति पूजा से समानता रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इस फरमान से स्पष्ट है "कि तुम लोग मेरी क़ब्र को बुत मत बनाओ कि अल्लाह को छोड़ कर इबादत किया जाए" यह चीज़ क़ब्र पर भवन बनाने,उसे सुन्दर बनाने,पक्का बनाने,अलंकृत संदूक में रखने,क़ब्र पर चादर चढ़ाने और क़ब्र की दीवार को चूमने को ह़राम होने को दर्शाती है और यह समस्त चीज़ें नबवी युग से दूर होने एवं अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुई हैं। (अल बदरुल तमाम: 232-233/4)**

क़ब्रो का अपमान

इस्लाम एक मुतदिल (मध्य) धर्म है तो जिस प्रकार उसने क़ब्र के सम्मान से मना किया है वैसे ही क़ब्र के अपमान से भी रोका है और अल्लाह ने सत्य फरमाया है "इस प्रकार हमने तुम को मध्य उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनों और नबी तुम पर गवाह बने।" (सूरतुल बकरह:143)

क़ब्र के अपमान के पाँच रूप हैं।

(१) क़ब्र पर बैठना अथवा उस पर चलना

इस की मनाही का प्रमाण मुर्सद ग़नवी की ह़दीस है।आप सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया:"क़ब्र पर मत बैठो और उस की ओर मुंह करके नमाज़ मत पढ़ो" (मूस्लिम:972) व अबू दाऊद:3229) व तिरमीज़ी:1050) व नसाई:759)

और आपका फरमान "तुम में से कोई व्यक्ति अंगारे पर बैठे जो उसके कपड़े को जला डाले फिर वह अंगारा उसके चमड़े तक पहूँच जाए इस से बेहतर हैं वह क़ब्र पर बैठे।और एक रिवायत में वह क़ब्र पर चले। (मुस्लिम:971) और एक रिवायत में है कि क़ब्र को रौंदे।(अह़मद (528/2)

और जाबिर रज़ीअल्लाहु अ़ंहु फरमाते हैं:अल्लाह के रसूल ने क़ब्र को पुख्ता बनाने उस पर बैठने और उस पर भवन बनाने से रोका है।(इस की तखरीज़ (स्त्रोत) गुजर चुकी है।)

(२) क़ब्रों के बीच जूते पहन कर चलना

इसे की मनाही का प्रमाण बशीर की ह़दीस है कि रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक आदमी को क़ब्रों के बीच जूते में चलते देखा तो कहाः ऐ जूते वाले!जूते निकाल दे।(अबु दाऊद:3230 व नसाई:2048 व इब्ने माजा:1568 व अह़मद:83/5 अन बशीर बिन अल-खसासीयह व हस्सनहु अलबानी फी सहीह़ अबीदाऊद)

रही बात कब्रिस्तान में क़ब्रों से दूर ऐसी जगह पर चलने की जहाँ पास में क़ब्र न देखी जाए या फिर ऐसे रास्ते से जो कब्रिस्तान में चलेन के लिए बनाया गया हो तो उसमें कोई हरज नहीं।क़ब्रों के बीच चलना ह़राम है।

(३) कब्रिस्तान में शौच करना:

इस की मनही का प्रमाण उ़क़बा बिन आ़मिर की ह़दीस है।कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अंगारे पर चलूँ अथवा तलवार पर अथवा अपने जूते सिलूँ यह बेहतर है इससे कि मैं किसी मुसलमान की क़ब्र पर चलूँ। (इब्ने माजा:1577) एवं इब्ने

अबी शैबा फी अल मुसन्नफ:11773) और शैख नासिर ने इरवाउल ग़लील:63 में सह़ीह़ कहा है)

और इब्ने अबी शैबा मुजाहिद से रिवायत करते हैं कि कब्रिस्तान में शौच एव पेशाब न करें। (मोसन्नफ इब्ने अबी शैबा:11779)

इब्ने तैमिया रह़िमहुल्लाह फरमाते हैं निःसंदेह मुसलमानों की क़ब्र की सम्मान सुन्नत से सिद्ध है।इसलिए कि वह मुस्लिम मुर्दे का घर है।विद्धानों का एकमत है कि वहाँ गंदगी नहीं छोड़ी जाऐगी और न उस पर चला जाएगा और न उस पर टेक लगाया जाएगा और ना ही उसके आस पास कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे मुर्दे को पीड़ा पहुँचती हो।इस लिए कि लोगों कि बूरी आदतों और बूरी बातों से मुर्दे को तकलीफ होती है। मुस्तह़ब (वह कार्य जिसके करने पर पुण्य और न करने पर पाप न हो) है कि वहाँ क़ब्र वालों को सलाम किया जाए और उस के लिए दुआ़ की जाए।मुर्दा जितना नेक होगा उसका अधिकार उतनाही अधिक होगा।(एकतिजा उस सिरातुल मुस्तकीम:665/2)

(४) क़ब्र खोदना:

इसके ह़राम होने का प्रमाण वह रिवायत है जिसको मालिक ने उ़मरह बिन्ते अ़ब्दुर रह़मान से नकल किया है।रसूल सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्र खोदने वाले और क़ब्र खोदने वालियों पर अभिशाप भेजी है। (रवाहो मालिक फी किताबिल जनाईज़/बैहकी कूबरा:270/8)

(4) दुसरी बात यह है कि क़ब्र के खोदने में मुर्दे की हड्डी के टूटने की आशंका है और मुस्लिम मुर्दे के हड्डी को तोड़ना ह़राम है नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फरमान के कारण से कि: "नि:संदेह मोमिन मुर्दे की हड्डी को तोड़ना वैसा ही है जैसे जीवन में उसकी हड्डी को तोड़ना।" (अह़मद:58/6 व अबु दाऊद:3207,आ़ईशा रज़ीअल्लाहु अ़ंहा से।और अलबानी ने सही़ अबुदाऊद में इस से सही़ करार दिया है)

रही बात मुर्दे के पुराने हो जाने और मिट्टी बन जाने की।जैसा कि पुराने कब्रिस्तान में होता है तो उस क़ब्र को खोदना जाईज़ (ठीक) है और उसमें दूसरे मुर्दा को दफन करना जाईज़ है उसकी हड्डी को एक कोने में करने के बाद।लेकिन यह भी उस स्थिति है कि जब जगह न हो ।

(५) मुर्दे को गाली देना,बुरा भला कहना

मुर्दे को बुरा भला कहने की मनाही के संबंध में कुछ ह़दीसें व आसार मरवी हैं।जिनमें से आ़ईशा रज़ीअल्लाहु अ़ंहा की ह़दीस है कहती हैं कि आप सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्दे को बुरा भला मत कहो। क्यों वह अपने अमालों के पास बहुँच चुके हैं। (बुख़ारी:1393)

इब्ने अबी शैबा आ़ईशा से नकल करते हैं कि उन्हों ने कहा अपने मुर्दे का ज़िक्र अच्छाई के साथ किया करो। (अलमोसन्नफ:11989)

और अ़ब्दुलाह बिन उ़मर से रिवायत करते हैं कि उन्हों ने कहा मुर्दे को बुरा भला कहने वाला मानो बरबादी की ओर जाने वाला है। (मुसन्नफ:11988)

क़ब्रों पर भवन एवं गुबंद आदि बनाने का हुक्म

कुछ मुसिलम देशों में यह देखने को मिलता है कि लोग क़ब्रों पर ईंट, संगमरमर और सीमेंट आदि से पुख्ता भवन बनाते है।क़ब्र को चूना करते।भवन क़ब्र के बाहर से होती है अथवा क़ब्र के उपर गुबंद अथवा कमरा बना होता है शरीअ़त में ऐसा करना ह़राम है।

निम्नाकित कारणों से:

प्रथमःमुर्दे को दफनाने के संबंध में यह नबी सलल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्न्त और तरीके के विरूध है।

द्वितीयःक़ब्र पर भवन के निर्माण मुर्दे के सम्मान और उसके प्रति में अतिश्योक्ति का कारण बन सकता है।क्योंकि जब कोई क़ब्र पर भव्य भवन देखता है तो उसके मन को प्रभावित करता है फिर उसका दिल उस क़ब्र में लेटे मुर्दे से लग जाता है और वह उससे अपनी आवश्यकताएं संबंधित कर लेता है जैसा कि कुछ मुस्लिम देशो में ऐसा होता है।

तृतीयः क़ब्र पर भवन बनाने से भूमि दूसरे मुर्दो के लिए कम हो जायगी और बाद में मरने वालो को दफन करने में परेशानी होगी।

चतुर्थः शहर मुर्दो के भवन से भर जायगा।

पांचवां: क़ब्रों को पुख्ता करने और उसे सुन्दर एवं भव्य बनाना दुनिया से संबंधित है जबिक मुर्दा आखिरत की मंजिल में होता है।

अंत से पहले कुछ बातें

अल्लाह आप पर रहम करे।जान लें कि वे जगहें जहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए मना किया गया है वे केवल कब्रिस्तान अथवा क़ब्र वाली मस्जिदों के साथ विशेष नहीं हैं बल्कि और भी कई स्थान हैं,लेकिन सबसे अधिक ह़राम इन दो जगहों पर नमाज़ पढ़ना है।जिन जगहों पर नमाज़ पढ़ना मना है उन की सूची लंबी है यहाँ संक्षिप्त में कुछ जगहों का वर्नण किया जाता है।

(1) ऐसी धर्ती जहाँ अल्लाह की ओर से यातना उतरी हो।अथवा जहाँ भूमि धँसाई गई हो वहाँ नमाज़ पढ़ना ह़राम है।उसका प्रमाण यह है कि अ़ली रज़ीअल्लाहु अंहु "बाबुल" की धँसी हुई ज़मीन से गुजरे तो वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी।

(2) अपवित्र जगहों पर नमाज़ पढ़ना ह़राम है जैसे शौचालय इस की मनाही में अबु सई़द खुदरी की ह़दीस आई है जिस का ज़िक्र पुस्तक में पहले गुज़र चुका है।

(3) ग्रिजा घरों में जहाँ बुत होते हैं नमाज़ पढ़न मना।उ़मर रज़ीअल्लाहु अ़ंहु ने कहा है कि "हम तुम्हारे ग्रिजा घरों में चित्र होने के कारण से प्रवेश नहीं कर सकते।"

ग्रिजाघरों में नमाज़ पढ़ना इब्ने अ़ब्बास रज़ीअल्लाहु अ़ंहुमा मकरूह समझते हैं।

(4) ऊँट के बाड़ा में नमाज़ पढ़ना

मनाही का प्रमाण नबी का फरमान।जब किसी व्यक्ति ने पूछा के क्या मैं ऊँट के बैठने की स्थान पर नमाज़ पढ़ सकता हूँ? आपने कहा नहीं।

(5) ऐसी जगहों पर जहाँ कुफ्फार के पूजा पाठ से समानता होती हो जैसे मूर्तियों के सामने नमाज़ पढ़ना,चर्च में और आग के सामने आदि । मालूम होना चाहिए कि प्रार्थना में कुफ्फार की समानता बहुत ही बुरी समानता है।

अंतिम बात

अंत में कहना यह है कि क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ना और क़ब्र पर मस्जिद बनाना ह़राम है।इसकी हुरमत कुरआन व ह़दीस से सिद्ध है।इसी प्रकार से क़ब्र पर ताबूत बनाना,कमरे बनाना ह़राम है।इसलिए कि यह मुर्दे के संबंध में अतिश्योक्ति (अतिसम्मान) और सम्मान का कारण है इसी प्रकार से वहाँ प्रार्थना करना,नमाज़ पढ़ना मना है।

जरूरी है कि मस्जिद अलग हो और क़ब्रअलग हो।मस्जिदे क़ब्र के लिए नहीं बनाई जाती और न क़ब्र मस्जिद हो सकती है

واللہ اعلم

الحمد للہ اولا واخرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی الہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیرا

संदर्भ

१–مسند ابى دائود الطيالسي ، تحقيق ،د. محمد بن عبدالمحسن التركي، الناشر: دار هجر – مصر

२– الكتاب المصنف في الأحاديث و الآثار، عبدالله بن ابى شيبه تحقيق محمد عبدالسلام شاهين، الناشر مكتبة دار الباز – مكة.

३– مصف عبدالرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المكتب الاسلامي– بيروت

४– فتح الباري،ا بن رجب الحنبلى الناشر: مكتبه الغرباء الأثريه – المدينة المنورة.

५–الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف ،محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى تحقيق جماعة من المحققين، الناشر: دار الفلاح – مصر

६–فضل الصلاة على النبي ﷺ ،اسماعيل بن اسحاق القاضى، تحقيق محمد ناصر الدين الالباني، الناشر: المكتب الاسلامى – بيروت.

७– الابانة الصغرى، ابن بطة العكبري،تحقيق د. رضا بن نعسان معطى، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة.

८–الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع جلال الدين السيوطي، تحقيق مشهور حسن سلمان، الناشر: دار ابن القيم – الدمام

९ –اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية ،تحقيق د. ناصر العقل، ط هـ الناشر: مكتبة الرشد – الرياض

१०- الاستغاثة في الرد على البكري، ابن تيمية تحقيق عبدالله السهلي، ط ١ ، الناشر: مدار الوطن–مصر

११– اعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية تحقيق، محمد المعتصم بالله البغدادى، الناشر: دار الكتاب العربي – لبنان.

١٢. اغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية تحقيق محمد عزيز شمس، الناشر: دار عالم الفرائد – مكة.

١٣. الشرك ووسائله عند أئمة الشافعية،د. محمد بن عبدالرحمن الخميسي ، الناشر: مدار الوطن الرياض.

١٤–شرح الصدور بتحريم رفع القبور، محمد بن على الشركانى، تحقيق محمد صبحي بن حلاق، ط١، الناشر: دارا لهجرة–اليمن.

١٥– شفاء الصدور في زيارة الشاهد والقبور، مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، الناشر: مكتبة نزار مصطقى الباز – مكة

١٦–دمعة على التوحيد، مقال: حقيقة القبورية و اثرها في واقع الأمة، الناشر: المنتدى الاسلامي –لندن. ١

١٧– التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبدالبر المالكي تحقيق أسامة بن ابراهيم، الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر – مصر:

١٨– المغني، ابن قدامة المقدسى تحقيق د. عبدالله التركي، و د. عبدالفتاح الحلو، الناشر: دار هجر – مصر

١٩– زاد المعاد في هدى خير العباد، ابن القيم ،تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط و شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة — بيروت

٢٠ –الجنائز محمدناصر الدين الألباني، سنه الطبع : ١٤١٢الناشر: مكتبة المعارف–الرياض

٢١–وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، نور الدين على بن احمد السمهودي، الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت